प्रकाशन का 45 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 45 अंक – 1 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 1 – 6 दिसम्बर 2020 मूल्य पांच रूपए

प्रदेश में प्रतिदिन एक महिला से हो रहा बलात्कार:मुकेश

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार को प्रदेश में सुशासन के लिये सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। जयराम सरकार को लेकर हुआ यह आकलन तथ्य के आईने में कितना सही उतरता है इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष अग्निहोत्री ने अग्निपथ में अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। यह प्रतिक्रिया विधानसभा के धर्मशाला में हुए शीतकालीन सत्र के दौरान आये आंकड़ों पर आधारित है। स्मरणीय है कि इसी सत्र के समापन पर मुख्यमन्त्री द्वारा आयोजित रात्रि भोज में पक्ष और विपक्ष का नाच गाना भी बहुत चर्चित रहा है। इसी सबको लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश के समाचार पत्रों में एक साथ दो मामले पढ़ने को मिले। खबर थी कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं से दुष्कर्म व उत्पीड़न के मामले बढ़े। बताया गया कि जब से जयराम सरकार बनी देवभूमि में 703 बलात्कार (रेप) हुए। यह खबर विपक्ष के सोजन्य से नही अलबत्ता पुलिस प्रमुख की सालाना प्रेसवार्ता से आई। यह आँकड़ा हिमाचल को झकझोरने बाला है क्योंकि आँकड़ा बता रहा है की इस शांत और सुरम्य प्रदेश में रोजाना एक बहन- बेटी की आबरू से खिलवाड़ हो रहा है। आलम यह है कि सन 2018 में 345 रेप हुए और तुलनात्मक 2019 में 358 रेप हुए। इसी तरह महिला क्रूरता के दो सालों में 412 मामले पेश आए और छेड़छाड़ के 1013 मामलों की पुष्टि पुलिस ने की है। ''बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ'' के अभियानों के बीच यह देव भूमि की तस्वीर है।

उधर मुख्यमंत्री के हवाले से दूसरी खबर में एलान हुआ कि ''यह जयराम की नाटी है डलती रहेगी''। दलील दी गई कि मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला कि ''किसी को तकलीफ है तो होती रहे''। यानी ''में तो नाचूँगी''।। खैर हमारा सरोकार तो उन तीन हजार से ज्यादा महिलाओं से है जिन्हें इस देवभूमि में तकलीफ हुई। हमें और कोई तकलीफ नही। काबिले जिक्र है कि हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार माफिया राज समाप्त करने के दावों पर आई थी। जिस में सबसे प्रमुख गुड़िया प्रकरण था जिस गुड़िया को अभी तक न्याय नही मिला और उसके माँ – बाप न्याय के लिए भटक रहे हैं। कभी गुड़िया हेल्प लाइन आई तो कभी गुड़िया बोर्ड बना कर राजनीतिक ताजपोशियाँ हुई। उसी देव भूमि में सरकाघाट में अस्सी वर्षीया महिला के साथ क्रूरता का प्रकरण भी सामने है, ऊना में हाल ही में एक महिला को नग्न अवस्था में मार कर पेड़ पर लटका दिया गया। ऐसे अनेकों मामले हैं जिनका उल्लेख फिर करेंगे।

लेकिन मसला तो माफिया पर कहर बरपाने का था आज एक साल में साढ़े आठ किलो से अधिक चिट्टा प्रदेश में पकड़ा है इस पकड़ की तुलना में प्रदेश में कितनी खपत हुई उसका अध्ययन भी हो जाना चाहिए अब तो दो सालों से सत्ता परआप का कब्जा है। खनन माफिया पर विधानसभा में हंगामे के बाद कोई करवाई ना होना जाहिर करता है कि या तो सरकार व प्रशासन हद दर्जे का सवेंदनहीन है या फिर मामला गड़बड़ है। बहरहाल आप का कहना है कि पाँच साल नाटियाँ पड़ेगी और उससे आगे भी। पाँच साल नाटियां आप डाल सकते हैं आगे का फैसला तो जनता करेगी। यूँ जश्नो – नाटियों पर करोड़ों फूंकने जैसी कोई बात नही है। धर्मशाला विधान सभा सत्र के दौरान रात्रि भोज के मेजबान आप थे। नाटियाँ आपने और आपके विधायकों ने डाली, बदनाम विपक्ष भी साथ लगते कर दिया जबकि विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस का कोई विधायक नही नाचा। उसी की सफाई आप लगातार दे रहे हैं। किसी को ''नाटी किंग'' कहलाना है या ''विकास पुरुष'' यह समय बताएगा। मगर प्रदेश में बीते दो साल में 703 रेप और 168 कत्ल हमारी नजर में बेहद चिंताजनक है।

क्या प्रशासन निगम हाऊस को गुमराह कर रहा है या पार्षद प्रशासन पर दबाव डाल रहे है

उच्च न्यायालय के आदेशों से उठी चर्चा

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला की संपदा शाखा के अधीक्षक की पदोन्नति पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। यह रोक इसलिये लगाई गयी क्योंकि इसी अधीक्षक एवम कुछ अन्य के खिलाफ अदालत ने एक जांच के आदेश दिये हैं। स्वभाविक है कि यदि इस जांच में यह अधीक्षक दोषी पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ दण्डात्मक कारवाई होगी क्योंकि संवद्ध मामला भ्रष्टाचार के साथ ही निगम की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठता है। इस मामले की जांच से यह सामने आयेगा कि यह भ्रष्टाचार संपदा शाखा के लोगों की ही मिली भगत से हो गया या इसमें कुछ बड़ों की भी भागीदारी रही है। खलिणी की पार्किंग से जुड़े इस मामले की जांच रिपोर्ट अभी आनी है। लेकिन यह जांच रिपोर्ट आने से पहले ही अधीक्षक को पदोन्नति देना और इसके लिये मामले को निगम के हाऊस की बैठक में ले जाना तथा हाऊस द्वारा इस पदोन्नति को सुनिश्चित बनाने के लिये संवद्ध नियमों में भी कुछ बदलाव करने की संस्तुति कर देना अपने में कई गंभीर सवाल खड़े कर जाता है।

निगम के हाऊस में पदोन्नति के ऐसे मामलों को ले जाना जहां संवद्ध व्यक्ति के खिलाफ अदालत ने ही जांच करने के आदेश दिये हों यह सवाल उठाता है कि क्या प्रशासन पर इनके लिये हाऊस के ही कुछ पार्षदों का दवाब था या प्रशासन हाऊस की मुहर लगवाकर पदोन्नति को अंजाम देना चाहता था। अदालत द्वारा किसी के खिलाफ कोई जांच के आदेश देना या किसी मामले में फैसला देना ऐसे विषय होते हैं शायद उन पर हाऊस का कोई अधिकार क्षेत्र नही रह जाता है। ऐसे मामलों में राज्य की विधानसभा या संसद तक भी दखल नही देती है। जनप्रतिनिधियों का काम तो जनता से जुड़े विकास कार्यो को आगे बढ़ाना प्रशासन द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार को रोकना या प्रशासन द्वारा किसी के साथ की जा रही ज्यादती को रोकना और संवद्ध व्यक्ति को न्याय दिलाने से होता है। क्योंकि अदालती मामलों को अदालती प्रक्रिया से ही निपटाया जाता है। यदि अदालत का जांच आदेश देना सही नही था तो उसे अदालती प्रक्रिया के तहत चुनौती दी जा सकती थी लेकिन इस तरह अदालती आदेश को अंगूठा दिखाकर संवद्ध व्यक्ति को लाभ देने का प्रयास करना तो एक तरह से अदालत की अवमानना करना ही हो जाता है।

नगर निगम में अदालत के फैसलों को दर किनार करते हुए लोगों को उत्पीड़ित करना एक सामान्य प्रथा बनता जा रहा है। एक मामले में नगर निगम अपनी ही अदालत के नवम्बर 2016 में आये फैसले पर आज तक अमल नही कर रहा है। संवद्ध व्यक्ति को मानसिक परेशानी पहुंचाने के लिये निगम के हाऊस का कवर लिया जा रहा है और हाऊस भी फैसले पर एक कमेटी का गठन कर देता है जबकि कानूनन ऐसा नही किया जा सकता। क्योंकि अदालत के फैसले की अपील तो की जा सकती है लेकिन उस पर अपनी कमेटी नही बिठाई जा सकती है। लेकिन मेयर यह कमेटी बिठाती है और इसके पार्षद सदस्य अदालत के फैसले को नजरअन्दाज करके संवद्ध व्यक्ति को परेशान करने के लिये अपना अलग फरमान जारी कर देते हैं। ऐसे कई मामले हैं जहां यह देखने में आया है कि निगम के पार्षद/मेयर कानून की जानकारी न रखते हुए किसी को पदोन्नति का तोहफा तो फिर किसी को मानसिक प्रताड़ना का शिकार बना रहे हैं। क्योंकि तीन वर्षो तक अदालत के फैसले पर किसी न किसी बहाने अमल नही किया जायेगा तो इससे बड़ी प्रताड़ना और क्या हो सकती है।

जहां निगम प्रशासन और हाऊस इस तरह से कानून/अदालत को अंगूठा दिखाने के कारनामे कर रहा है वहीं पर निगम में हुए करोड़ों के घपले पर आंखे मूंदे बैठा है। निगम के आन्तरिक ऑडिट के मुताबिक वर्ष 2015 – 16 से निगम में 15,90,43,190/- रूपये का घपला हुआ है जिस पर आज तक निगम के हाऊस ने कोई संज्ञान नही लिया है। बल्कि इसी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 31 – 12 – 16 को 48,27,62,231/- के विभिन्न अनुदान बिना खर्चे पड़े थे। इससे निगम और उसका प्रबन्धन विकास के प्रति कितना प्रतिबद्ध है इसका पता चलता है। आडिट रिपोर्ट में साफ कहा गया है।

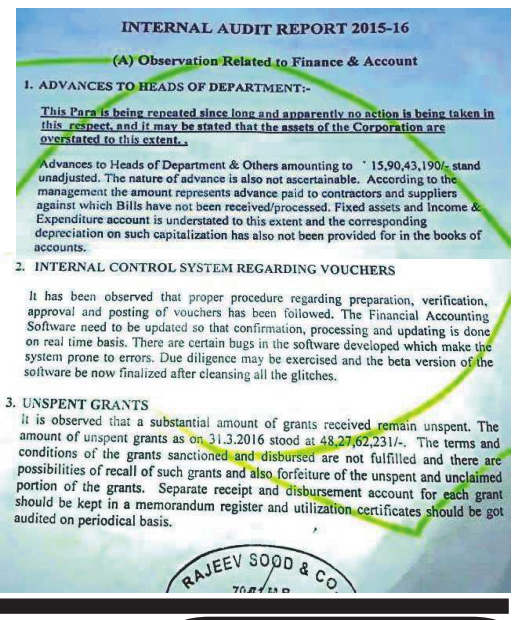

INTERNAL AUDIT REPORT 2015-16

(A) Observation Related to Finance & Account

1. ADVANCES TO HEADS OF DEPARTMENT:-

This Para is being repeated since long and apparently no action is being taken in this respect, and it may be stated that the assets of the Corporation are overstated to this extent. .

Advances to Heads of Department & Others amounting to ` 15,90,43,190/- stand unadjusted. The nature of advance is also not ascertainable. According to the management the amount represents advance paid to contractors and suppliers against which Bills have not been received/processed. Fixed assets and Income & Expenditure account is understated to this extent and the corresponding depreciation on such capitalization has also not been provided for in the books of accounts.

2. INTERNAL CONTROL SYSTEM REGARDING VOUCHERS

It has been observed that proper procedure regarding preparation, verification, approval and posting of vouchers has been followed. The Financial Accounting Software need to be updated so that confirmation, processing and updating is done on real time basis. There are certain bugs in the software developed which make the system prone to errors. Due diligence may be exercised and the beta version of the software be now finalized after cleansing all the glitches.

3. UNSPENT GRANTS

It is observed that a substantial amount of grants received remain unspent. The amount of unspent grants as on 31.3.2016 stood at 48,27,62,231/-. The terms and conditions of the grants sanctioned and disbursed are not fulfilled and there are possibilities of recall of such grants and also forfeiture of the unspent and unclaimed portion of the grants. Separate receipt and disbursement account for each grant should be kept in a memorandum register and utilization certificates should be got audited on periodical basis.

RAJEEV SOOD & CO

प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन के रूप में अपनाएं किसान: बंडारू दत्तात्रेय

शिमला/शैल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किसानों का आह्वान किया है कि वे प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन के रूप में अपनाएं ताकि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती की दिशा में विश्व तथा देश में एक आदर्श राज्य बनकर उभरे। राज्यपाल सोलन जिला के नालागढ़ में 'प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना' के सम्बंध में आयोजित किसान परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे।

बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वर्तमान में हम सभी रसायनयुक्त खेती के दुष्परिणामों से परिचित हैं। इन दुष्परिणामों से बचाव के लिए प्राकृतिक खेती कारगर उपाय है। उन्होंने उपस्थित किसानों से आग्रह किया कि वे प्राकृतिक खेती के विषय में अपने आस-पास के अन्य किसानों को भी जानकारी दें ताकि प्रदेश के सभी किसान प्राकृतिक खेती अपनाकर स्वयं भी इससे लाभान्वित हों और आमजन को भी पौष्टिक आहार प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हो। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती भारत की प्राचीन कृषि पद्धति है और इसे अपनाकर वास्तविक अर्थों में किसान को खुशहाल और आमजन को स्वस्थ बनाया जा सकता है। प्राकृतिक खेती में कम लागत में फसल का अधिक मूल्य प्राप्त होता है और प्राकृतिक खेती किसानों को कर्ज के मकड़जाल से बचाने का श्रेष्ठ साधन है।

राज्यपाल ने किसानों से आग्रह किया कि वे प्राकृतिक खेती के साथ पशुपालन भी अपनाएं ताकि उनकी आय में आशातीत बढ़ोत्तरी हो सके। किसान की उन्नति देश की उन्नति है और प्राकृतिक खेती जैसी लाभदायक पद्धति अपनाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं और केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा उनके हित के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने पहली बार प्राकृतिक खेती के लिए नीति बनाई है।

बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कृषि विभाग एवं प्राकृतिक खेती से संबद्ध अधिकारियों को प्रदेश में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण करना चाहिए। यह सर्वेक्षण भूमि की प्रकृति एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि किसान को भूमि के अनुरूप फसल उगाने की जानकारी दी जा सके। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे देसी गाय को बढ़ावा दें और प्रदेश सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए जा रहे उपदान का समुचित लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि परिचर्चा में किसानों द्वारा उठाई गई समस्याओं को प्रदेश सरकार तक पहुंचाया जाएगा और यह प्रयास किया जाएगा कि इन समस्याओं का उचित निराकरण किया जा सके।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 46 हजार से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सोलन में यह आंकड़ा 2700 से अधिक है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी किसान पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे।

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के परियोजना निदेशक एवं विशेष सचिव कृषि राकेश कंवर ने योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में 50 हजार किसानों को इस योजना के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक 46286 किसानों ने प्राकृतिक खेती आरम्भ की है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश ऐसे दो राज्य हैं जहां सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती योजना को सरकारी कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे परिचर्चा में अपने अनुभव बताएं और सुझाव दें ताकि आने वाले समय में योजना को और बेहतर किया जा सके।

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के कार्यकारी निदेशक राजेश्वर सिंह चंदेल ने योजना की व्यवहारिक जानकारी एवं वर्तमान में दिए जा रहे प्रशिक्षण की व्यापक जानकारी दी।

इस अवसर पर नालागढ़ के उद्योगपति से किसान बने प्राकृतिक खेती कृषक दिनेश बंसल, कुम्हारहट्टी के यशपाल, घौणी के लाभ सिंह, जगनी के अश्वनी, मितियां के जीत सिंह, बड्डल के मलकीत सिंह सहित अन्य किसानों ने प्राकृतिक खेती के संबंध में अपने विचार साझा किए।

आतमा परियोजना के निदेशक रवींद्र जसरोटिया ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पूर्व विधायक के.एल ठाकुर, जिला भाजपा अध्यक्ष आशुतोष वैद्य, पुलिस अधीक्षक बद्दी रोहित मालपाणी, उपमंडलाधिकारी नालागढ़ प्रशांत देष्टा सहित कृषि विभाग के अधिकारी एवं 40 से अधिक किसान परिचर्चा में उपस्थित थे।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT Annexure-"A"
E-PROCUREMENT NOTICE
INVITATION FOR BID(IFB)

The **Executive Engineer, (B&R) Division, HPPWD, Baijnath on behalf of Governor of Himachal Pradesh,** invites the item rate bids in electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HP.PWD for the works as detailed in the table.

S.No.	Name of Work	Estimated Cost (Rs.)	Starting Date for downloading BID	Earnest Money	Time limit	Deadline for Submission of BID	Cost of Tender form
1.	Improvement Widening and Stregthening Baijnath Mahankal Chobin Blander road Km.0/0 to 14/200 (SH: P/L 80mm thick interlocking paver block in Km. 0/0 to 0/480)	9,86,485	15..01.2020	19,800/-	Two Month	29.01.2020	350/-

The bidders are advised to note others details of tenders from the department Website **www.hptenders.gov.in**

Adv. No.3840/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender on Form No. 6&8 are invited by the **Executive Engineer, Electrical Division, HPPWD, Mandi (H.P.)** for the following works Sr. No. 1 to 4 from the approved and eligible contractors enlisted in HPPWD (Electrical) department and for works at Sr. No. 5 and 6 from OEM (CCTV) / authorized agency of OEM (CCTV) having similar work done experience, so as to reach in his office on or before **20.01.2020 up-to 10.30 A.M.** and will be opened on the same day at 11:00 A.M in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The application for issuing of tender form will be received in his office against cash payment Rs. 350/-(Non-refundable) for each work on or before **18.01.2020 up to 01:00 P.M.** and the tender forms can be had from his office on same day. **The application for the purchase of the tender documents should be accompanied with earnest money of each work separately in the shape of National Saving Certificate/FDR/ Call Deposit / Saving Bank account / Bank draft of any Schedule Bank / Post Office duly pledged in favour of the Executive Engineer, Electrical Division, HP.PWD, Mandi (H.P.).** Conditional tenders and the tenders received without earnest money will be rejected. The receipt of application for issue of tender forms by post shall not be entertained / considered in1 any case. The tender forms shall be issued to registered Contractors or their authorized representatives. The copy of enlistment / renewal order and valid Electrical License shall be attached with the application for purchase the tender document.. The ambiguous / telegraphic / conditional / fax / E-mail or by post tenders shall also not be entertained / considered in any case. The tender shall be issued to those Contractors / Firms who are found eligible, suitable and competent. The decision of the Executive Engineer regarding suitability / eligibility / competency of Contractors/ Firms shall be final binding on the Contractors / Firms applying for the issuing of the tender. The offer for the tenders shall be kept open for 120 days. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reasons, if there happens to be any holiday the same will be opened on next working day.

Work No. 1:- Providing New Light Plug, Heating Points, Computer points and LED Light fittings in newly created Blood Bank at Shri Lal Bahadur Shastri Govt. Medical College and Hospital, Nerchowk , District- Mandi HP **Estimated Cost:** Rs. 188891/-only, **Earnest money:** Rs.3800/- only, **Time allowed:-** Along with civil work.

Work No. 2:- Repair and maintenance in Medical College Block B, C and D at Shri Lal Bahadur Shastri Govt. Medical College and Hospital, Nerchowk Distt.- Mandi HP (SH: Replacement of defected switches, Sockets, Fuse of CFL into LED rod, LED blub, MCB etc therein) **Estimated Cost:** Rs. 169992/-only, **Earnest money:** Rs. 3400/- only, **Time allowed:- Two Months.**

Work No. 3:- Extension and construction of Bus Stand at Killar Tehsil- Pangi, District - Chamba H.P (SH: Providing EI therein) Balance work **Estimated Cost:** Rs. 152419/-only, **Earnest money:** Rs. 3050/- only, **Time allowed:- One Month.**

Work No. 4:- C/o Government Senior Secondary School at Shikawari, Tehsil - Thunag, Distt.- Mandi HP (SH: Providing EI therein) **Estimated Cost:** Rs. 454305/-only, **Earnest money:** Rs. 10000/- only, **Time allowed:- Two Months.**

Work No. 5: C/o Indoor Auditorium Building at Kullu Distt- Kullu HP (SH: Providing CCTV Cameras for the existing CCTV System therein) **Estimated Cost:** Rs. 440900/-only, **Earnest money:** Rs. 8850/- only, **Time allowed:- One Month.**

Work No. 6: C/o Indoor Auditorium Building at Kullu Distt- Kullu HP (SH: Providing PTZ camera for the security of National Flag and Screen therein) **Estimated Cost:** Rs. 440900/-only, **Earnest money:** Rs. 8850/- only, **Time allowed:- One Month.**

Adv. No.3702/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

Himachal Pradesh
Public Works Department
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item /percentage rate tenders on Form No. 6, 7&8 are hereby invited by the **Executive Engineer Kasauli Division, HPPWD, Kasauli** for the following works on behalf of the Governor of Himachal Pradesh from the approved and eligible contractors as under :

Sr.No. Tender Schdule	Date	Time
1. Receipt of application for tender forms	**21-01-2020**	**Upto 3.00 PM**
2. Issue of Tender Forms	**22-01-2020**	**Upto 5.00 PM**
3. Receipt of Tenders	**23-01-2020**	**Upto 11.00 AM**
4. Opening of Tenders	**23-01-2020**	**At 11.30 AM**

The offer of the tender shall be kept opened for 51 days. The Executive Engineer reserves the right to reject any tender without assigning any reason:-

S.No.	Name of Work	Tantative Cost	Earnest Money	Time Allowed	Cost of Form
1.	Restoration of rain damages on Patta Goela Chachi road in Km 0/0 to 20/00 (SH:- C/O R/wall at Rd 16/114 to 16/122).	4,92,983/-	9900/-	Two Month	350/-
2.	C/O Johar Ji Sua road in km 8/00 to 13/00 (SH:- C/O PCC R/wall at RD 9/030 to 9/050).	4,46,739/-	9000/-	Two Month	350/-
3.	C/O Johar Ji Sua road in km 8/00 to 13/00 (SH:- C/O PCC R/wall at RD 12/985 to 12/992 and B/wall from RD 12/960 to 12/972).	4,47,258/-	9,000/-	Two Month	350/-
4	.C/O Bhud Gullarwala Gharer Patta road in km 15/00 to 30/00 (SH:- C/O 900mm dia Dauble row RCC hume pipe culvert at RD 15/940 to 15/951) with wing wall	3,73,084/-	7500/-	Two Month	350/-
5.	C/O Bhud Gullarwala Gharer Patta road in km 15/00 to 30/00 (SH:- C/O 900mm dia Dauble row RCC hume pipe culvert at RD 15/940 to 16/830) with wing wall	3,08,797/-	7200/-	Two Month	350/-
6.	C/O Kimughat Chakki ka Mour road in km 15/180 to 16/300 (SH:- Formation cutting in portion at Rd 16/340 to 16/380)	4,99,069/-	10,000/-	Two Month	350/-
7.	C/O Patta Kaunta Dhamrew road in km 0/0 to 3/500 (SH:- P/L Gr-III in km 1/060 to 2/650) Under SCCP	3,72,995/-	7500/-	Two Month	350/-
8.	C/O Kimmughat Chakki Ka Mour road in km 15/180 to 16/300 (SH:- Formation cutting in portion at Rd 16/300 to 16/340).	4,99,867/-	10,000/-	Two Month	350/-
9.	C/O link road Jamara Kanjiara Butiala to Johar Ji road in 0/0 to 6/00 (SH:- C/O 900mm dia dauble row RCC hume pipe culvert at Rds 0/370, 0/825, 1/090, 1/165) with wing wall).	4,98,760/-	10,000/-	Two Month	350/-
10.	R.R damages on Chaila Neripul yashwant nagar Ochghat Sultanpur Kumarhatti road in km 75/375 to 86/450 (SH:- C/O PCC R/wall at Rd 82/700 to 82/718).	3,79,806/-	76,00/-	Two Month	350/-

The Earnest Money in the shape of FDR, Time Deposit, and Saving Account in HP duly pledged in favour of the Executive Engineer, Kasauli Division, and HPPWD Kasauli must accompany with the application by putting work **JOB Number**

The contractor will not have more than two works in hand at the time of tender and undertaking on affidavit that he is not having more than two works in hand must be attached with the application Conditional tenders and tenders without earnest money shall sommarly be rejected.

The contractors shall insert the rates in words against each item also.

The tender forms will not be issued to those contractors whose performance found unsatisfactory.

The latest validity of enlistment must have to be attached with the application/ otherwise no Application shal be entertained.

The photo copy of GST number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.

Adv. No.3875/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed items rate tender on form No. 6 and 8 are hereby invited on behalf of Governor of HP for the following works from approved and eligible contractor enlisted in HPPWD, so as to reach in this office on **28.01.2020 up to 11.00 AM** and shall be opened on the same day at 12.00 Noon in the presence of intending contractors or their authorized representative who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment (non refundable) up to **04:00 PM on 27.01.2020.**

The earnest money in the shape of FDR/TDR in HP duly pledged in favour of **Executive Engineer NH Division HP.PWD Nahan** must be accompanied with the each tender. Conditional tender and tender received without earnest money will be rejected. The undersigned reserves the right to reject any or all tenders without assigning the reason. The offer of the tender will be kept opened for **120 days.**

S.No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time limit	Cost of Form
1.	Ordinary repair to Kala Amb Paonta Sahib Dehradun road NH 72 (New NH 07) Km 46/0 to 103/0 (SH:- Construction of PCC Retaining wall for channelisation of Bohlion Khud at RD 73/990 (LHS).	3,76,338/-	8000/-	01 Month	350/-
2.	Ordinary repair to NH 72B (New NH 707) Paonta Rajban Shillai Meenus Hatkoti road km 0/0 to 161/715 (SH:- Construction of PCC Retaining wall between Km 97/970 to 97/985).	4,85,800/-	10,000/-	01 Month	350/-

Terms &Conditions:-

1. The Contractors/Bidders must quoted their Permanent Income Tax Account Number/ GST number on the tender alongwith copy of the same be attached with the application.
2. The Contractors/Firms should attach copy of the Registration/Renewal with the application.
3. The contractor/bidders should quote his rates Both in Figures and words, where there is any discrepancy between the rates in figures and words, the rates in words will be governed.
4. The contractors'/bidders must inspect the site to ascertain/familiar the site conditions, accessibility etc. before quoting the bid/tender.
5. Conditional and telegraphic tender shall not be accepted and rejected straightway. Tender received after due date and time will be rejected.
6. The contractor/firms should have to produce the details of works in hand in HP. PWD, and its position thereof alongwith application.
7. The Contractor shall have to establish testing laboratory at site for the day to day testing of material.
8. The offer shall remain valid upto 120 days.
9. The Executive Engineer reserve the right to reject any or all the tenders without assigning any reason.
10. The contractor desiring to obtain tender form shall have to submit proof of having machinery registered in their name.

Adv. No.3786/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

9वीं व 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मिलेंगी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें

शिमला/शैल। प्रदेश मंत्रिमण्डल की शिमला में आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त किया गया।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग देने के लिए प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को परीक्षा प्रवेश शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित खतरों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमण्डल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें तीन कम्पनियां शामिल होंगी। इससे राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदाओं के समय न्यूनतम समय में अपने संसाधनों को उपयोग में लाने की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का इस्तेमाल मणिमहेश यात्रा, श्रीखण्ड यात्रा, किन्नर कैलाश यात्रा जैसे आयोजनों के लिए भी किया जा सकेगा जहां निवारक उपायों की आवश्यकता रहती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता में 20 हजार रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के उपरांत लाभार्थियों को 1.30 लाख रुपये के स्थान पर 1.50 लाख रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री आवास मुरम्मत योजना के अंतर्गत 25 हजार के स्थान पर 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने 10 सब्जी मण्डियों को ई-नाम (इलैक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। इस तरह, अब तक राज्य में 29 सब्जी मण्डियों को इस सुविधा से जोड़ा जा चुका है। इस सुविधा से किसानों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने में सहायता मिलेगी और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे और साथ ही समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन अदायगी भी सुनिश्चित होगी।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के 10 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। इन पदों को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर भरा जाएगा।

पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 174 पद भरने को मंत्रिमण्डल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रिमण्डल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक जिला मण्डी के रेडियोथेरेपी विभाग के कैंसर देखभाल केन्द्र में विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में सीधी भर्ती के माध्यम से रेडियेशन सेफ्टी ऑफिसर का एक पद और चिकित्सा भौतिक विज्ञानी के दो पद भरने को स्वीकृति दी गई है।

बैठक में मण्डी जिला की बल्ह तहसील के अन्तर्गत गांव भायरटा, चच्योट तहसील के गांव बैला, उप-तहसील पांगणा के गांव मसोगल में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इन संस्थानों के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के तीन-तीन पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया गया।

मण्डी जिला के नगवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 19 पद सृजित कर इन्हें भरा जाएगा।

आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने और ई-वे बिल के सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने, पंजीकरण सत्यापन व डिस्टिलर कर की वसूली और अन्य सम्बन्धित कार्यो के लिए मंत्रिमण्डल ने विभाग ने आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के 50 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया।

उपायुक्त शिमला के कार्यालय में जूनियर ऑफिस एसिस्टेंट के 25 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरा जाएगा।

साहसिक खेलों व हवाई खेल गतिविधियों का सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2019 को मंजूरी प्रदान की है। इसके अन्तर्गत पैराग्लाईडिंग, हैंडग्लाईडिंग और पैरामोटर जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।

बैठक में सोलन जिला के अन्तर्गत अर्की पुलिस थाना के छयोड़ खड्ड के सराली में नई पुलिस चौकी खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 13 पद भरने का निर्णय लिया गया।

मण्डी जिले की बल्ह तहसील के अन्तर्गत लोहारा स्वास्थ्य उप केन्द्र और शिमला जिला के खलीणी उप-स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है।

सोलन जिले के प्राथमिक शिक्षा खण्ड रामशहर की राजकीय प्राथमिक पाठशाला हलीण को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अलयोण के रूप में पुनर्नामित करने का फैसला किया गया है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर प्रोसैस इंजीनियरों के पांच भरने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने चम्बा में नया जिला पर्यटन विकास कार्यालय और तीन अन्य जिलों में सहायक पर्यटन विकास कार्यालय खोलने और पर्यटन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों के सृजन व इन्हें भरने को अपनी सहमति प्रदान की।

बैठक में जिला मण्डी के धर्मपुर क्षेत्र के अंतर्गत सजाओ पिपलू, सिराज क्षेत्र के बगश्याड़, जोगिन्द्रनगर के गुम्मा और जिला सिरमौर के पछाद क्षेत्र के अंतर्गत भालटा मछेहड़ व नैना टिक्कर के पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय के रूप में स्तरोन्नत करने और इनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया गया।

जिला मण्डी की मणी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने व इसके लिए दो पदों के सृजन का फैसला लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने अपने 34 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर प्रदेश को प्रदान की गई सेवाओं के लिए मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी की सराहना की। डॉ. बाल्दी इसी माह सेवानिवृत्त होने जा रहे है। मुख्यमंत्री ने डॉ. बाल्दी को हिमाचली टोपी और शॉल से सम्मानित किया।

खाद्यान्न उत्पादन के लिए हिमाचल को कृषि कर्मण्य पुरस्कार

शिमला/शैल। कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी-2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि कर्मण्य पुरस्कार 2016-17 के अंतर्गत प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकंडा, प्रधान सचिव (कृषि) ओंकार चंद शर्मा और निदेशक कृषि डॉ. राकेश कुमार कौंडल ने कर्नाटक के टुमकुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से यह पुरस्कार प्राप्त किया। पुरस्कार समारोह में एक प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि दी गई है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने खाद्यान उत्पादन में इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने का कहा कि यह तकनीकी जानकारी को किसानों तक पहुँचाने की दिशा में किए गए समर्पित प्रयासों के कारण राज्य ने खाद्यान्न उत्पादन में असाधारण बढ़ोतरी की है।

कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकंडा और प्रधान सचिव, कृषि ने भी इस उपलब्धि के लिए विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है।

कृषि विभाग के निदेशक डॉ. राकेश कुमार कौंडल ने कहा कि 2016-17 में प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 1562-73 लाख टन हुआ। इसके अलावा विभाग ने पॉलीहाउस खेती, फसल विविधिकरण, सूक्ष्म सिंचाई, प्राकृतिक खेती, सिंचाई सुविधाओं, यंत्रीकरण और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में भी सराहनीय कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को किसानों ने जमीनी स्तर पर अपनाया है जिसके परिणामस्वरूप यह उपलब्धि हासिल हुई है। उल्लेखनीय है कि कृषि कर्मण्य पुरस्कार वर्ष 2010-11 से कृषि मंत्रालय द्वारा धान, गेहूं, मोटे अनाज, दालों, और कुल खाद्यान के उत्पादन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने हेतु शुरू किया गया है। इससे पहले भी कृषि विभाग को वर्ष 2011-12 में गेहूं उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने और वर्ष 2014-15 व 2015-16 में भी खाद्यान्न उत्पादन में सराहनीय बढ़ोतरी के लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन हेतु हिमाचल को प्रथम पुरस्कार

शिमला/शैल। दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए हिमाचल प्रदेश को उत्तर-पूर्व क्षेत्र और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से भेंट कर उन्हें प्रस्तुत किया।

शहरी विकास विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने यह पुरस्कार, प्रदेश सरकार की ओर से विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा से प्राप्त किया। पुरस्कार में भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं हिमाचल प्रदेश को पांच करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी विकास आजीविका मिशन के तहत शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूहों का गठन करके समूह के सदस्यों का क्षमतावर्धन करते हुए उनका सामाजिक, आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों के गठन के तीन माह बाद 10 हजार रुपये रिवाल्विंग फंड दिया जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास घटक के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण और स्वरोजगार घटक के तहत लाभार्थियों को कम ब्याज दरों पर आसान ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। शहरी आश्रय विहीन जो लोग खुले में सोते थे उनके लिए शहरी निकायों में आश्रय भवन संचालित किये जा रहे है।

पथ विक्रेताओं के उत्थान के लिए भी उनका सर्वेक्षण कराकर हर शहरी निकाय के लिए विक्रेय योजना बनाई जा रही है। पथ विक्रेता अधिनियम नगर विक्रय समिति का चुनाव भी इस वर्ष की कार्य योजना में है, जिसे मार्च, 2020 तक सभी शहरी निकायों में पूरा कर लिया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने रैंकिग में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विभाग के अधिकारियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भी राज्य को इस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त होगा।

इस अवसर पर निदेशक शहरी विकास विभाग, राम कुमार गौतम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मेधा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। उच्चत्तर शिक्षा विभाग, ने 'मेधा प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कार्यरत मेधावी विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह जानकारी शिक्षा निदेशक उच्चत्तर डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने दी।

यह आवेदन राज्य एवं राज्य के बाहर उच्चत्तर शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों से सीएलएटी,एनईईटी, आईआईटी-जेईई, एआईआईएमएस, एएफएमसी,एनडीए इत्यादि एवं यूपीएससी, एसएससी,बैकिंग, बीमा और रेलवे इत्यादि की परीक्षाओं के लिए आमंत्रित किए गए हैं।

इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए विद्यार्थी, हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। अभ्यार्थी के परिवार की कुल आय 2.50 लाख प्रति वर्ष, गरीबी रेखा की आय से दौगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में चयनित विद्यार्थियों को जीवनकाल में अधिकतम एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता को विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के दौरान अपने भरण-पोषण, संस्थान की फीस, किताबें तथा अन्य प्रकाशित सामग्री पर खर्च करेगा।

इस योजना के तहत आवेदन की अन्तिम तिथि 25 दिसम्बर से बढ़ाकर 15 जनवरी, 2020 की गई है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक शिक्षा निदेशक उच्चत्तर, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001 के कार्यालय में डाक द्वारा या ई-मेल medha.protsahan @gov.in के माध्यम से भेज सकते हैं।

निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। योजना से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी शिक्षा निदेशक उच्चत्तर हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट www.educationhp.org पर उपलब्ध है।

हम भारत के लोग सभी धर्मों के प्रति न केवल सहिष्णुता में विश्वास करते है, वरन सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी करते हैं .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

सत्ता के दो वर्ष बाद

जयराम सरकार के सत्ता में दो वर्ष पूरे हो गये हैं। यह दो वर्ष पूरे होने पर सरकार ने शिमला के रिज़ पर एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया जिसमें केन्द्रिय गृह मन्त्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा केन्द्रिय वित्त राज्य मन्त्री अनुराग ठाकुर ने भाग लिया। इस रैली का आयोजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने रखने के नाम पर किया गया था। इस रैली में प्रदेश के पूर्व मुख्यमन्त्री और अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल भी शामिल हुए। लेकिन प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमन्त्री शान्ता कुमार रैली से गायब रहे। रैली के सभी बड़े वक्तांओं ने सरकार की पूरी पूरी प्रंशसा की। अमितशाह ने जयराम और मोदी के संबंधों को सरकार की सफलता का बड़ा कारण बताया। अनुराग ने जयराम को बड़ा भाई और जयराम ने अनुराग को छोटा भाई बताया। एक बड़ी रैली में अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हुए सरकार और संगठन को एक दूसरे की जो भी औपचारिक प्रंशसा करनी चाहिये थी वह रस्म अदायगी पूरी तरह से निभाई गयी। गोदी मीडिया ने भी अपना **''जिसकी डफली उसी का राग''** का धर्म पूरी निष्ठा से निभाया है और शायद इसी के चलते सरकार को गुड गवर्नैन्स का प्रमाण पत्र भी मिला है।

किसी भी सरकार के सत्ता के पहले दो वर्ष प्राईम टाईम माने जाते हैं। क्योंकि नीतिगत महत्वपूर्ण फैसले इसी शुरू के समय में लिये जाते हैं। अगले दो वर्षो में उन फैसलों पर अमल किया जाता है। अन्तिम वर्ष चुनाव का होता है और तब इस सब का परिणाम जनता के सामने स्वत: ही आ जाता है। इसलिये अकसर दो वर्ष के बाद भी सरकारों को लेकर उनका सर्वे किये जाने का चलन भी आ चुका है। जयराम सरकार का भी एक ऐसा ही सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में कहा गया है कि यदि आज चुनाव हो जायें तो भाजपा को 25 से 27 सीटें ही मिल पायेंगी। इसी सर्वे के मुताबिक इन्वैस्टर मीट का असर केवल 14% जनता पर ही है। भाजपा के उच्च सूत्रों के मुताबिक यह सर्वे हाईकमान में भी चर्चित हुआ है। सूत्रों का दावा है कि जिस तरह की राष्ट्रीय परिस्थितियां आज बनती जा रही हैं उन्हें सामने रखते हुए इस तरह के सर्वे अन्य प्रदेशों को लेकर भी करवाये गये हैं। ''आई विटनैस'' के इस सर्वे का यदि प्रदेश की परिस्थितियों के संद्धर्भ में आकलन किया जाये तो यह सर्वे जमीनी हकीकत के बहुत नजदीक लगता है।

आज मीडिया और सरकारों में जिस तरह के संबंध बन चुके हैं और इन संबंधों के कारण सरकारों को जो श्रेष्ठता के प्रमाणपत्र मिल रहे हैं उनकी विश्वसनीयता भी उसी अनुपात में प्रश्नित हो चुकी है। पूर्व की धूमल और वीरभद्र सरकारों को थोक में यह श्रेष्ठता प्रमाण पत्र मिले हैं। यदि यह प्रमाण पत्र हकीकत के थोड़ा भी नजदीक होते तो यह सरकारें सत्ता में वापसी करती। लेकिन एक भी सरकार ऐसा नही कर पायी है। इससे सबसे ज्यादा मीडिया की अपनी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठे हैं। इसलिये जयराम सरकार भी इस दिशा में कोई अपवाद सिद्ध नही हो पायेगी यह तय है। सरकार ने प्रदेश की जनता को इन दो वर्षो में क्या दिया है जिसका रिपोर्ट कार्ड लेकर यह सरकार जनता के सामने लेकर गयी है यदि उस पर निष्पक्षता से नजर डाली जाये तो स्थितियां बहुत निराशाजनक तस्वीर सामने रखती हैं। आम आदमी को रोजगार और मंहगाई सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। क्योंकि इन्ही के कारण उसकी रसोई, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट प्रभावित होता है। सरकार ने कितने लोगों को दो वर्षो में रोजगार उपलब्ध करवाया है इसको लेकर विधानसभा के हर सत्र में सवाल आये हैं। इन सवालों के जवाब में कब क्या आंकड़े दिये गये है और कितनी बार यह कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी को अगर इकठ्ठा रखकर कोई भी मंत्री या अधिकारी देखेगा तो शायद वह स्वयं ही शर्मसार महसूस करेगा क्योंकि यह सइ कुछ सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित अधिकारिक सूचनाओं से मेल नही खाता है। शैल यह सारे दस्तावेजी प्रमाण अलग–अलग समय पर पाठकों के सामने रख चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सही हालत क्या है इसका खुलासा प्रदेश उच्च न्यायालयों में आयी याचिकाओं से लग जाता है जहां अदालत को संबंधित सचिवों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने के फरमान देने पड़े हैं। मंहगाई के प्रति सरकार की गंभीरता इसी से पता चल जाती है जब रसोई गैस और पैट्रोल–डीजल के दाम बढ़ाये गये तथा प्याज कम खाने की नसीहत दी गयी। लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा गया उसमें इन मुद्दों का जिक्र तक नही किया गया।

विकास की स्थिति यह है कि प्रदेश के लिये केन्द्र द्वारा घोषित राष्ट्रीय राज मार्ग अभी तक सिद्धान्त रूप से आगे नही बढ़े हैं। प्रदेश की सड़कों और अन्य कार्यो के लिये केन्द्र से चौहद हजार करोड़ की मांग की गयी है। लेकिन अपने लिये दो सौ से ज्यादा गाड़ियां खरीद ली गयी। अपने वेतन भत्ते बढ़ा लिये गये और उस पर उठे जन रोष के बाद भी उसे वापिस नही लिया गया। सरकार के खर्चे चलाने के लिये हर माह कर्ज लिया जा रहा है। बजट से पहले और बजट के बाद टैक्स लगाये जाते रहे हैं लेकिन बजट को टैक्स फ्री घोषित/प्रचारित किया जाता है। जब सार्वजनिक जीवन में इतनी भी सुचिता नही रह जायेगी कि हम अपनी जनता से स्पष्ट ब्यानी कर सकें तो फिर ऐसे आयोजनों से क्या लाभ मिलेगा। इसीलिये इन आयोजनों को कर्ज लेकर घी पीने की संज्ञा दी जा रही है। ऐसे में जब सरकार बजट के लिये सुझाव आमन्त्रित करने की बात करती है तब यही लगता है कि सरकार कैसे जनता को ना समझ मानकर चलती है। पिछले कई वर्षो से हर बजट टैक्स फ्री बजट दिया जाता रहा है और इसके बावजूद वस्तुओं और सवेाओं के दाम तथा सरकार की आय बढ़ती रही है। जयराम सरकार ने भी बजट के लिये सुझाव मांगे है ऐसे में सरकार से आग्रह है कि आप तो टैक्स फ्री बजट का झूठ अब जनता को न परोसने का साहस दिखायें। इसी के साथ यह सच्च भी स्वीकारें की बजट में दिखायी गयी पूंजीगत प्राप्तियां शुद्ध ऋण होती हैं और इस ऋण के साथ सरकार के कर्ज का आंकड़ा जनता के सामने रखने का साहस करें।

अपने स्वार्थ के लिये जनता को मूर्ख न बनाएं

–डॉ नीलम महेंद्र–

जब देश के पढ़े–लिखे बुद्धिजीवी लोग जिनमें कुछ डॉक्टर वकील, शिक्षक, प्रोफेसर, स्कूल कॉलेज के डायरेक्टर, पत्रकार, संपादक जैसे लोग सी ए ए और एन आर सी में अंतर समझे बिना मुस्लिम समुदाय को भृमित करने वाली बातें सोशल मीडिया में कथित सेक्युलरिज्म या फिर गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर डालते हैं तो उनकी शिक्षा ही नहीं उनकी नीयत पर भी शक होने लगता है। चूँकि अपने प्रति यह शक स्वयं उन्होंने उत्पन्न किया है इसलिए उनसे कुछ उत्तर भी अपेक्षित हैं।

पहले बात सी ए ए की

1. क्या आपने अपनी शिक्षा का उपयोग करके सी ए ए को पढ़ा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं?

2. अगर नहीं पढ़ा, तो जिन मुसलमानों की आपको कथित चिंता हो रही है उन्हें ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बिना पढ़े क्यों डरा रहे हो?

3. आपको क्या लगता है आपके इस गैर जिम्मेदाराना आचरण से आप किसका भला कर रहे हो, मुसलमानों का या देश का?

4. जब आप सी ए ए को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं तो वो किन मुसलमानों की चिंता होती है भारतीय मुसलमानों की या फिर गैर भारतीय मुसलमानों की?

5. अगर आपकी चिंता भारतीय मुसलमानों को लेकर है तो कृपया निश्चिंत हो जाइए क्योंकि इस कानून में केवल नागरिकता देने का ही प्रावधान किया गया है किसी की नागरिकता छीनने का नहीं।

6. अगर आप विदेशी मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं तो आपका सेक्युलरिज्म खुद ही संदेह के घेरे में आ जाता है जब आपका सेक्युलरिज्म हिन्दू, सिख, बौद्ध, इसाई, पारसी और जैन समुदाय के नागरिकों की पीड़ा नहीं समझ पाता वो केवल मुसलमानों से शुरू हो कर मुसलमानों पर ही खत्म हो जाता है।

अब बात एन आर सी की,

1, एन आर सी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स मतलब देश में रहने वाले नागरिकों की जानकारी। दुनिया के लगभग हर देश के पास उनका नागरिक रजिस्टर होता है।

2. भारत में 1951 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में एन आर सी लागू करवा चुके थे। अब इस बात से तो आप सभी सहमत होंगे कि इतने सालों में उसे अपडेट करना तो बनता ही है।

3. अभी मौजूदा सरकार ने केवल जवाहरलाल नेहरु के उस काम को मौजूदा वक्त में मौजूदा तारीख के हिसाब से सही करने की बात कही है।

4. फिलहाल इस वक्त तक सरकार ने एन आर सी को लेकर ना तो लोकसभा, ना राज्यसभा और ना ही किसी कैबिनेट मीटिंग में कोई चर्चा की है।

5. ना ही सरकार ने अधिकृत रूप से ऐन आर सी के लिए आवश्यक दस्तावेजों की कोई सूची जारी की है।

6. आसाम को भारतीय संविधान में 371 के अंतर्गत विशेष दर्जा हासिल है इसलिए वहाँ की एन आर सी की प्रक्रिया ही पूरे देश में भी लागू होगी ऐसी बात करना मूर्खता है क्योंकि असम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है इसलिए भी वहाँ की परिस्थितियाँ बाकी देश से भिन्न हैं।

7. और अगर कागज मांगे भी जाएंगे तो केवल खालिद भाई, नसीर भाई, शौकत अली या फिर मोमिना बेगम से ही नहीं बल्कि तोमर जी, शर्मा जी, ठाकुर जी, पमनानी जी, जैन साहब से भी मांगे जाएंगे।

8. आज बच्चे को स्कूल में भर्ती कराना हो, कॉलेज में एडमिशन करना हो नौकरी के लिए आवेदन करना हो तब जन्मतिथि प्रमाणपत्र से लेकर आय प्रमाण पत्र तक तमाम कागजात देने वाले लोग आज कागजों का रोना रो रहे हैं।

9. आज चाहे कोई प्राइवेट इंस्टिटयूशन हो या सरकारी, छोटी सी दुकान हो या माल सबके पास अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का ही डेटा नही होता बल्कि वो अपने ग्राहकों का भी डेटा एकत्र करते हैं। इन लोगों को ग्राहक बनके बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को अपना फोन नंबर अपना क्रेडिट कार्ड अपना मेल आईडी देने में दिक्कत नहीं है लेकिन देश को अपनी जानकारी देने में परेशानी है।

10. हैरत की बात यह है कि जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए समय और पैसा दोनों बर्बाद कर देते हैं वो कागजों का रोना रो रहे हैं।

और अंत में जिन लोगों को सी ए ए के जरिए शरणार्थियो को भारतीय नागरिकता प्रदान करने में अपने देश के संसाधनों की कमी याद आ जाती है उनके लिए एक तथ्य पाकिस्तान में 3.7%, अफगानिस्तान में 0.4%,और बांग्लादेश में 9.4% गैर मुस्लिम जनसँख्या है, अगर आप यह कहते हैं की ये सभी भारत में शरण ले लेंगे तो एक तरह से आप खुद इन देशो में गैर मुस्लिमों के साथ होने वाले भेद–भाव को स्वीकार कर रहे हैं।

दूसरी बात इनमे से जितने भी लोग भारत में आएँगे, उनकी संख्या उन घुसपैठियों से तो कम ही होगी जो की एन आर सी के द्वारा बाहर कर दिये जाएँगे, जो की एक अनुमान के तहत करोड़ से ऊपर है, यह करोड़ लोग अन–अधिकृत रूप से दीमक की तरह इस देश के संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं लेकिन कुछ रजनैतिक दलों का यह गैर कानूनी वोट बैंक बन चुके हैं इसलिए यह दल देश को गुमराह कर के, मुसलमानों में भय का वातावरण बना कर एन आर सी का विरोध कर रहे है। और जो बुद्धिजीवी बगैर यह सब जाने एन आर सी का विरोध कर रहे हैं वो केवल मात्र इन राजनैतिक दलों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं।

'झूठ का झाड़ और सच का पहाड़'

– मुख्तार अब्बास नकवी –

शिमला। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी और अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने के निर्णय को लेकर समाज के एक वर्ग में 'भय और भ्रम का भूत' खड़ा किया जा रहा है। 'झूठ के झाड़ और सच्च के पहाड़' को छिपाने की कोशिश की जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक की सरकार का लेखा–जोखा अगर देखें तो एक वाक्य में कहा जा सकता है, कि यह सरकार ''समावेशी सशक्तिकरण, सर्वस्पर्शी समृद्धि'' को समर्पित रही है, बिना भेदभाव, बिना धर्म–जाति देखे हर जरूरतमंद की आँखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है। 2 करोड़ गरीबों को घर दिया तो उसमें 31 प्रतिशत अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय है, 6 लाख गांवों में बिजली पहुंचाई तो 39 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक गांव जिनके घरों में उजाला हुआ, 22 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लाभ दिया, तो उसमे भी 33 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब किसान हैं। 8 करोड़ महिलाओं को 'उज्ज्वला योजना' के तहत निशुल्क गैस कनैक्शन दिया तो उसमे 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार लाभान्वित हुए।

21 करोड़ लोगों को 'मुद्रा योजना' के तहत व्यवसाय सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए आर्थिक ऋण दिए गए हैं जिनमे 36 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ। यही नहीं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार कार्यक्रमों का भरपूर फायदा अल्पसंख्यक समाज के गरीब–कमजोर तबके को हुआ, क्योंकि अधिकतर योजनाएं गरीबों, कमजोर तबकों के लिए होती हैं और इन 70 वर्षों में अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समाज गरीबी और अशिक्षा का शिकार रहा, इसीलिए मोदी सरकार की गरीब और कमजोर तबकों के सशक्तिकरण की सभी योजनाओं का भरपूर फायदा अल्पसंख्यक समाज को हो रहा है। सवाल यह उठता है कि जिस प्रधानमंत्री ने बिना भेदभाव गरीबों को मकान दिया, उनके घरों में उजाला किया, वह उन्हें बेघर और उनकी जिंदगी में अँधेरा होते कभी नहीं देख सकते। इसी लिए नागरिकता बिल, एनआरसी पर प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 'किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए है' और एनआरसी की 1951 से चल रही प्रक्रिया असम के अलावा कहीं और नहीं है, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी कानून से किसी भी भारतीय मुस्लमान की नागरिकता को न खतरा है, न होगा।

सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून– पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान– में धार्मिक भेदभाव एवं उत्पीड़न से प्रताड़ित–पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। वह भी यदि वो लोग चाहें तब। जहाँ तक सवाल है विदेशों में रह रहे मुस्लिम समाज के लोगों को नागरिकता देने का तो यह प्रावधान इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आज भी मौजूद है। कोई भी विदेशी नागरिक, जिसमे मुस्लिम भी शामिल हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 5 के तहत भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में 500 से ज्यादा मुस्लमानों को भारतीय नागरिकता दी गई है।

सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, 1955 में पंत–मिर्जा एग्रीमेंट हुआ यानी भारत के गृहमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत एवं पाकिस्तान के गृहमंत्री मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा के बीच समझौता हुआ, इस समझौते के तहत भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में मौजूद गैर–मुस्लिम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण की चिंता करनी है। साथ ही गैर–मुस्लिमों के धार्मिक–सामाजिक सरोकार की भी चिंता करनी है। इस दौरान पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 24 प्रतिशत से घट कर 2 प्रतिशत के इर्द गिर्द सिमट गई, उत्पीड़न, नरसंहार बढ़ता गया पर पहले की भारतीय सरकारों ने इसकी चिंता नहीं की, जो शरणार्थी भी मजबूरन भाग कर आये उनपर भी पाकिस्तान में आतंकवाद की तलवार लटक रही थी और भारत में कानून का डंडा लटका रहा था। वहां से जान बचाकर आये तो यहाँ भी जान मुश्किलों से दो–चार होती रही। इसी अमानवीय अपमान को मानवीय सम्मान देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है। यह शुद्ध रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पंख्यकों को मानवीय सम्मान, सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाया गया है, भारतीय मुस्लमानों का इससे कोई लेना–देना नहीं है। ना ही वे इससे प्रभावित होंगे।

जहाँ पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अपमान और नरसंहार के शिकार हैं, वहीं भारत में अल्पसंख्यक प्रगति के बराबर के हिस्सेदार–भागीदार रहे हैं। अल्पसंख्यकों के आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार की योजनाएं सबसे ज्यादा प्रभावी रही हैं। पिछले लगभग 5 वर्षों में ही विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं से गरीब, कमजोर अल्पसंख्यक समाज के रिकॉर्ड लगभग 3 करोड 20 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं जिनमें लगभग 60 प्रतिशत छात्राएं शामिल हैं। 2014 से अभी तक 'सिखो और कमाओ', 'उस्ताद', 'गरीब नवाज रोजगार योजना', 'नई मंजिज' आदि रोजगारपरक कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से 8 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को काशैल विकास व रोजगार–रोजगार के अवसर मुहैया कराये गए हैं। इनमे लगभग 50 प्रतिशत लड़कियां शामिल हैं। 'हुनर हाट' के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में 2 लाख 65 हजार से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों/शिल्पकारों को ना केवल रोजगार–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गए हैं बल्कि उन्हें राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय मार्किट–मौका भी मुहैया कराया गया है।

जहाँ यूपीए सरकार में मात्र 90 जिले अल्पसंख्यकों के विकास हेतु चुने गए थे, वहीं मोदी सरकार में इसका विस्तार कर देश के 308 जिलों, 1300 ब्लॉक में अल्पसंख्यक समाज विशेषकर लड़कियों की शिक्षा हेतु मूलभूत सुविधाओं के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के तहत पिछले लगभग 5 वर्षों के दौरान 8 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा की लागत से 33 डिग्री कॉलेज, 1 हजार 398 स्कूल भवन, 40 हजार 201 अतिरिक्त क्लास रूम, 574 हॉस्टल, 81 आईटीआई, 50 पॉलिटेक्निक, 39 हजार 586 आंगनवाड़ी केंद्र, 398 सदभावना मंडप, 123 आवासीय स्कूल, 570 मार्केट शेड, 104 कॉमन सर्विस सेंटर आदि सुविधाओं का मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में निर्माण कराया गया है।

'पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नर्क और हिंदुस्तान स्वर्ग साबित हुआ है। 'यही सच्चाई कुछ विघटनकारी ताकतों के आँख की किरकिरी बनी हुई है और वे भारत की 'अनेकता में एकता' की ताकत को कमजोर करने की साजिशों का ताना–बाना बुन रहे हैं।

दूसरा एनआरसी, यह प्रक्रिया 1951 से असम में शुरू हुई, फिर 1975 में इसे आगे बढ़ाने का आंदोलन और मांग हुई। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाने का आदेश दिया। यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है। पर मात्र असम तक सिमित है। एक अंतरिम सूची 31 अगस्त 2019 को जारी हुई, जो नाम नहीं आये सरकार एनआरसी सेवा केंद्रों, ट्रिब्यूनलों में कानूनी सहायता से उनकी मदद कर रही है। 1951 से असम में चल रही एनआरसी की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है।

जहाँ तक सवाल है देश के अन्य भागों में NRC को लागू करने का तो इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई है, और ना अन्य राज्यों में NRC प्रक्रिया का कोई अधिकृत निर्णय लिया गया है। इसे लेकर 'हॉरर हंगामा और सियासी ड्रामा' चरम पर है। मनगढंत झूठ से भरपूर कहानी बना कर एक समाज विशेष के कंधे पर बंदूक रख कर 'सियासत की सांप सीढ़ी' का खेल खेला जा रहा है। दरअसल 'तर्कों की कंगाली ने कुछ राजनैतिक दलों को कुतर्कों का मवाली' बना दिया है। और इन्ही कुतर्कों के सहारे समाज में बिखराव– टकराव का 'पोलिटिकल पाखंड' किया जा रहा है। और अब जनगणना को लेकर भ्रम का जाल बुना जा रहा है और कुछ राजनैतिक दल लोगों को अपने 'चतुराई के चक्रव्यूह' में फसांने की कोशिश कर रहे हैं। जनगणना या एनपीआर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है– 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 में जनगणना हुई, इसे लेकर भी लोगों को गुमराह करने का काम शुरू हो गया है।

हमें समझना चाहिए कि जनतंत्र से पराजित लोग गुण्डातंत्र' से जनतंत्र का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत की प्रगति और निर्माण में देश का हर तबका बराबर का हिस्सेदार–भागीदार रहा है और रहेगा। कोई भी गुमराही गैंग हमारी 'अनेकता में एकता' की ताकत को तार–तार करने की आपराधिक साजिश में सफल ना हो सके यह हमारा 'राष्ट्रीय कर्तव्य' है।

हमारे लिए भारत की मिट्टी हमारी आस्था है, इस मिट्टी में जन्मा हर व्यक्ति यहीं रहेगा, किसी के भी सामाजिक, धार्मिक, संवैधानिक, नागरिक अधिकार पर कोई सवाल या खतरा न है, न होगा। यही सच से भरपूर हकीकत है, बाकी सब भ्रम से भरपूर फसाना है। आइये हम सब एकजुट होकर 'भय और भ्रम के भूत' का सफाया करें।

प्रदेश सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध

शिमला। प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ होने के कारण प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने पर विशेष बल दे रही है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हाल ही में धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान पर्यटन क्षेत्र में 16 हजार करोड़ रुपये के 225 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 प्रतिशत परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो चुका है। प्रदेश सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दौरान पर्यटन क्षेत्र में 3322 करोड़ रुपये के निवेश की 81 परियोजनाएं शामिल की गई।

पर्यटन क्षेत्र को स्थानीय जनता के लिए रोजगारोन्मुखी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश में 2000 होम–स्टे और 3600 होटल पंजीकृत किए गए हैं। गत वर्ष 476 नए होम–स्टे पंजीकृत किए गए थे। हाल ही में इंस्टीयूट ऑफ होटल मनेजमेंट में सोलन, शिमला, मण्डी, मनाली, धर्मशाला और किन्नौर के 500 होम–स्टे मालिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

बेरोजगार योजनाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 939 लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली, नेचर एण्ड लाईफ एसोसिएशन पर्वतारोहण संस्थान भरमौर हिमकोन और एचपीटीडीसी के माध्यम से पर्यटन की विभिन्न इकाइयों जैसे टुरिस्ट गाइड, टैक्सी ड्राईवर, पोर्टर, ढाबा मालिक, फूड एण्ड बीवरेज सेवाएं, ट्रैकिंग गाइड, पर्यटन में सामान्य पाठ्यक्रम, स्किंग आदि के प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं।

'नई राहें, नई मंजिलें' योजना के तहत प्रदेश के अनछुए पर्यटन गंतव्यों को विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के पहले चरण में जिला मण्डी के जंजैहली, शिमाल जिला के चांशल, जिला कांगड़ा के बीड़–बिलिंग तथा लारजी और पौंग क्षेत्र मे जलक्रीड़ा गतिविधियां विकसित की जाएंगी।

प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 656.00 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की हैं। यह योजना दो चरणों में पूरी की जाएगी। प्रथम ट्रैंच–1 में 19 उप परियोजनाएं विकसित कर पूरी की गई। ट्रैंच–2 योजना के अन्तर्गत 11 उप–परियोजना विकसित की गई, जिनका कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 1892.00 करोड़ रुपये की एक अन्य योजना भी स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत समुदाय विकास के लिए एक विशेष पैकेज के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाएगा।

प्रदेश सरकार पर्यटकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त परिवहन उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में रज्जू मार्गो का निर्माण कर रही है। धर्मशाला–मैकलोड़गंज में निर्मित होने वाले रज्जू मार्ग का कार्य वर्ष 2020 तक पूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला बिलासपुर में श्री आनंदपुर–श्री नैना देवी जी, जिला कांगड़ा में आदि–हिमानी चामुंडा रज्जू मार्ग, जिला कुल्लू में पलचान–रोहतांग रज्जू मार्ग और बिजली महादेव रज्जू मार्ग, जिला मण्डी में मां शिकारी देवी रज्जू मार्ग, जिला बिलासपुर–हमीरपुर में शाहतलाई–दयोठसिद्ध रज्जू मार्ग तथा जिला शिमला में नारकंडा–हाटू रज्जू मार्ग बनाए जाएंगे।

प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण पर विशेष बल दे रही है। जिला मण्डी के नागचला में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है। प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति के आधार पर हवाई अड्डा स्थापित करने की मंजूरी ले रही है। जिला कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे, जिला कुल्लू के भूंतर हवाई अड्डे और जिला शिमला के जुब्बड़हट्टी के हवाई अड्डे पर हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

केन्द्र सरकार की क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क योजना–उड़ान–2 के तहत फरवरी, 2019 से जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से चण्डीगढ़–शिमला–चण्डीगढ़ से हैलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मई, 2019 से पवनहंस लिमिटेड द्वारा चण्डीगढ़–शिमला–कुल्लू तथा चण्डीगढ़–शिमला–धर्मशाला के लिए हैलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियन्त्रण में

शिमला/शैल। प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियन्त्रण में है। हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को सुरक्षा प्रदान करने व उनकी जान व माल की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है।

वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था अत्यन्त सन्तोषजनक रही है। इस वर्ष 19924 अभियोग पंजीकृत

Head wise cases registered in Himachal Pradesh

Crime Head	Year 2019
Murder	69
Attempt to murder	54
Rape	358
Kid/Abd	457
Cruelty to woment	229
Outraging modesty	498
Rioting	424
Accidents	2897
Theft	477
Burglary	452
Other IPC	8562
Total of IPC Crime	14477
ND&PS Act	1439
SC/ST Act	163
PCR Act	4
Excise Act	2916
Forest Act	161
IT Act	79
Other Local & Special Law	685
Total of local & special law	5447
Grand Total	19924

किए गए हैं जिनमें से अधिकतर अभियोगों को सुलझा लिया गया है, जिस कारण आम जनता में पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति सन्तोष है।

वर्तमान सरकार ने सख्त निर्देश दिये हैं कि जनता की शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। शिकायत पत्र में लगाए गए आरोप सत्य है या असत्य है, यह तथ्य अन्वेषण के दौरान साबित होंगे। अत: किसी भी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) की सूचना मिलने पर तुरन्त एफ0आई0आर0 दर्ज की जा रही हैं।

वर्ष 2019 में पंजीकृत अभियोगों का शीर्षवार विवरण निम्न है

हत्या:– वर्ष 2019 में 69 हत्या (Murder) के अभियोग पंजीकृत हुए हैं जबकि वर्ष 2018 में 99 अभियोग पंजीकृत हुए थे। इस वर्ष पंजीकृत अभियोगों में से अधिकतर मामले (94 प्रतिशत) सुलझाए जा चुके हैं । पिछले 10 वर्षों में इस शीर्ष के अर्न्तगत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

2010	2011	2012	2013	2014
130	132	112	105	131

2015	2016	2017	2018	2019
106	101	99	99	69

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों में इस वर्ष हत्या के सबसे कम मामले घटित हुए हैं। यहां यह भी कहना उचित होगा कि पूरे देश में प्रति 01 लाख की आबादी में 3.2 हत्या के मामले दर्ज हो रहे हैं जबकि हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 1.33 है जो कि देश की राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है।

हत्या के प्रयास: वर्ष 2019 में 54 अभियोग पंजीकृत हुए है जबकि वर्ष 2018 में 57 अभियोग पंजीकृत हुए थे। इस शीर्ष में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 03 अभियोग कम पंजीकृत हुए हैं। वर्ष 2019 में पंजीकृत अभियोगों में से 92 प्रतिशत अभियोगों को सुलझा लिया गया है तथा शेष में अन्वेषण जारी है।

बलात्कार: वर्ष 2019 में बलात्कार के 358 अभियोग पंजीकृत हुए हैं इनमें से 95.7 प्रतिशत मामलों को सुलझाया जा चुका है। जांच के दौरान अधिकतर मामलों में संलिप्त अपराधी या तो पीड़ितों के परिचित थे या पूर्व में पारस्परिक सहमति थी। मनमर्जी से शादी करने की नियत से घर से भाग जाने के मामले भी काफी अधिक रिपोर्ट किए जाते हैं जिसमें लड़की के नाबालिग होने की स्थिति में बलात्कार की धाराओं में मामले पंजीकृत किए जाते हैं। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक मामले का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि Live-in relationship के टूट जाने के बाद शादी न कर पाने की स्थिति में बलात्कार की धारा में मामला नहीं बन सकता अत: आने वाले समय में इस फैसले के उपरान्त ऐसे मामलों में कमी आने की सम्भावना है।

प्रदेश पुलिस महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध के प्रति सम्वेदनशील है तथा अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रयत्नशील है। गुड़िया हैल्पलाईन, एस0एम0एस0, व्हटसऐप एवं ऑनलाईन शिकायत पोर्टल की सुविधाओं तथा सामुदायिक पुलिस योजनाओं के अन्तर्गत चलाए जा रहे जागरूकता अभियानो के फलस्वरूप महिलाओं में जागरूकता बड़ी है तथा वे निर्भय होकर अपनी शिकायतें दर्ज करवा रही है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर तुरन्त मामला दर्ज कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप इस शीर्षक के अर्न्तगत वर्ष 2019 में बलात्कार के 358 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। जांच के दौरान अधिकतर मामलों में संलिप्त अपराधी या तो पीड़ितों के परिचित थे या पूर्व में पारस्परिक सहमति थी। मनमर्जी से शादी करने की नीयत से घर से भाग जाने के मामले भी काफी अधिक रिपोर्ट किए जाते हैं जिसमें लड़की के नाबालिग होने की स्थिति में बलात्कार की धाराओं में मामले पंजीकृत किए जाते हैं।

अपहरण/व्यपहरण:– वर्ष 2019 में अपहरण/व्यपहरण (Kid/Abduction) के 457 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं जबकि वर्ष 2018 में 476 अभियोग पंजीकृत हुए थे अत: इस वर्ष इस शीर्ष में 19 अभियोग कम पंजीकृत हुए हैं। पड़ोसी राज्यों की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश इस अपराध की दर में 24वें स्थान पर है जबकि हरियाणा 6वें, चण्ड़ीगढ–11वें, जम्मू एवं कश्मीर–16वें, उत्तर प्रदेश–17वें व पंजाब 22वें स्थान पर है। इससे यह पता चलता है कि पड़ोसी राज्यों की अपेक्षाकृत हिमाचल में इस शीर्ष में कम अपराध होते हैं।

महिलाओं से छेड़छाड़ (Outraging Modesty): इस शीर्ष में वर्ष 2019 में 498 अभियोग पंजीकृत हुए है जबकि वर्ष 2018 में 515 अभियोग पंजीकृत हुए थे। इस वर्ष इस शीर्ष में पंजीकृत अभियोगों में 17 की कमी आई है। पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं को सुविधा प्रदान की गई है कि उन्हें थाने में जाने की आवश्यकता न हो जिसके लिए वह अपनी शिकायत व्हटसऐप, गुड़िया हैल्पलाईन व आन लाईन इत्यादि के माध्यम से दर्ज करा सकती हैं। महिला जागरूकता अभियान एवं भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 354 में हुए संशोधन के पश्चात महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है जिस कारण ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

महिलाओं की सुरक्षा हेतू हिमाचल सरकार द्वारा निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:–

(i) महिलाओं की सुरक्षा हेतु एवं संकट में महिलाओं को तुरन्त पुलिस सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री हि0प्र0 द्वारा 26.01.2018 को गुड़िया हैल्पलाईन 1515 व शक्ति बटन ऐप का शुभारम्भ किया गया है। इन दोनों सुविधाओं की वजह से किसी भी महिला को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाना जाने की आवश्यकता नहीं है। वह अपनी शिकायत व्हटसऐप, गुड़िया हैल्पलाईन व आन लाईन दर्ज करा सकती हैं तथा उनसे प्राप्त शिकायतों पर अभियोग पंजीकृत किए जाते हैं।

(ii) गुड़िया हैल्पलाईन के माध्यम से दिनांक 26.01.2018 से 31.12.2019 तक 3225 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 3168 का निष्पादन किया जा चुका है तथा शेष 57 शिकायतों में कार्यवाही की जा रही है। इस हैल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर 163 अभियोग पंजीकृत किये गये है तथा 209 कलन्दरे बनाये गये है।

(iii) महिलाओं की सुविधा के लिए प्रदेश में किन्नौर व लाहौल एवं स्पिति को छोड़कर शेष सभी जिलों में 11 महिला पुलिस थाने पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं।

(iv) सामुदायिक पुलिस योजनाओं के अतंर्गत, स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं के सशक्तीकरण के लिए शुरू की गई समर्थ योजना के तहत पुलिस द्वारा स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं को UAC का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत अभी तक 1,52,348 छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिससे छात्राओं में भारी आत्मविश्वास जगा है।

(v) शिमला, कागड़ा, सिरमौर और कुल्लू जिलों मे 04 एंटी–ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

(vi) पीड़ित महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना जगाने और उन्हें पुलिस स्टेशनों मे अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम 04 महिला पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

(vii) पुलिस अधिकारियों द्वारा स्कूलों के दौरे के दौरान, लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है।

दंगें: इस शीर्ष में वर्ष 2019 में 424 अभियोग पंजीकृत हुए हैं जबकि वर्ष 2018 में 479 अभियोग पंजीकृत हुए थे। वर्ष 2019 में इस शीर्ष में 55 अभियोग कम पंजीकृत हुए है।

सड़क दुर्घटनाएं: वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं के 2897 अभियोग पंजीकृत हुए हैं जिसमें 1109 लोगों की मृत्यू हुई है तथा 4842 लोग घायल हुए है जबकि वर्ष 2018 में इस शीर्ष में 3118 अभियोग पंजीकृत हुए थे। वर्ष 2019 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 221 अभियोगों (7.08 प्रतिशत) की कमी हुई है। सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में 99 कम लोगों की मृत्यू हुई है व 709 लोग कम घायल हुए है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा उल्लंघनकर्ताओं के ड्राईविंग लाईसैन्स को निरस्त करने के लिए संबंधित RLA को संस्तुति की जा रही है।

चोरी : इस शीर्ष में वर्ष 2019 में 477 अभियोग पंजीकृत हुए हैं जो पिछले वर्ष पंजीकृत अभियोगों से 231 कम हैं। चोरी के सभी मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है तथा चोरी की गई सम्पति की धर पकड़ के लिए पुलिस द्वारा हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं जिसके फलस्वरूप पुलिस को चोरों के अन्तर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में कामयाबी मिली है।

गृह भेदन: इस शीर्ष में वर्ष 2019 में 452 अभियोग पंजीकृत हुए हैं जबकि वर्ष 2018 में 602 अभियोग पंजीकृत हुए थे अत: इस वर्ष इस शीर्ष में 150 अभियोग कम पंजीकृत हुए है।

वर्ष 2019 में भा.दं.सं. की धाराओं के अन्तर्गत 14477 अभियोग पंजीकृत किए गए है जबकि वर्ष 2018 में 14623 अभियोगों पंजीकृत हुए थे। इस प्रकार वर्ष 2019 में भा.दं.सं. की धाराओं में पंजीकृत अभियोगों में वर्ष 2018 की तुलना में 146 अभियोगों की कमी आई है।

मदक पदार्थ अधिनियम:– इस शीर्ष में वर्ष 2019 में 1439 अभियोग 1925 आरोपियों के विरूद्ध जिसमें 12 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, पंजीकृत किए गए हैं जबकि वर्ष 2018 में 1342 अभियोग 1722 आरोपियों के विरूद्ध जिसमें 10 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, पंजीकृत किए गए थे। अत: वर्ष 2019 में इस शीर्ष में 97 अभियोग (7.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई व 203 आरोपी अधिक पकड़े हैं।

वर्ष 2019 में आरोपियों से 327.2 किलोग्राम चरस, 17.05 किलोग्राम अफीम, 1306.7 किलोग्राम चूरापोस्त, 21.3 किलोग्राम गांजा, 8.568 किलोग्राम हेरोईन, 150.1 ग्राम स्मैक, 26927 अफीम के पौधे, 54077 भांग के पौधे, 19964 नशीली गोलियां, 102716 नशीले कैपसूल, 9848 नशीले पेय तथा 12 इन्जैक्शन पकड़े गये है।

सरकार मादक द्रव्यों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इन मामलों में सख्त कार्यवाही कर रही है। मादक पदार्थो की तस्करी को रोकने के लिये रणनीति बनाने के उद्देश्य से दिनांक 20.8.2018 को हरियाणा में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड़, राजस्थान तथा दिल्ली व चण्ड़ीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का "Drug Menace- Challenges & Strategies" के ऊपर एक द्विवार्षिक सम्मेलन (Bi-Annual Conference) का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान गुप्त सूचना को साझा करने व Drug Menace के पर संयुक्त रणनीति बनाने के लिए पंचकूला में एक सचिवालय बनाया गया है। राज्य में नशाखोरी को रोकने तथा उसकी मांग व आपूर्ति को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:–

भांग व अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

संयुक्त रणनीति विकसित करने एवं मांग व आपूर्ति को कम करने के लिए पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है।

नशाखोरी के दुरूपयोग के विरूद्ध आम जनता विशेषकर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

फेसबुक और ट्विटर पर एच पी पुलिस (एस.एन.सी.सी.) के सोशल अकाउंट पर माननीय दलाई लामा, माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के संदेशों को एकत्र और साझा किया गया।

अनुपम खेर, खली, प्रीति जिंटा, मोहित चौहान, कंगना रानौत, आमिर खान आदि हस्तियों के संदेशों को एच.पी. पुलिस और एस.एन.सी.सी. के सोशल मीड़िया पेज पर साझा किया गया।

एच.पी. पुलिस के स्टार खिलाड़ियों जैसे अजय ठाकुर, प्रियंका नेगी और सुषमा वर्मा ने भी एच0पी0 पुलिस के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ संदेश पोस्ट किए हैं।

युवा पीढ़ी को नशे से रोकने, आम जनता को नशे के प्रभाव से जागरूक करवाने, नशे के कारोबार से जुड़े व्यक्तियों की सूचना इक्ट्ठा करने व भांग एवं अफ़ीम की खेती के बारे में सूचनाओं का संकलन एवं नशे की अवैध खेती को नष्ट करने के उद्देश्य से थाना स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों को पंचायत स्तर पर भी विस्तरित किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा ''ड्रग फ्री हिमाचल'' मोबाइल फोन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लिकेशन को राज्य में नशीले पदार्थो की अवैध तस्करी, बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। लोग अपनी पहचान बताए बिना इस ऐप पर जानकारी दे सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 30.06.2019 को एक टोल फ्री नशा निवारण हेल्पलाइन नंबर ''1908'' लॉन्च किया गया है। इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को उनकी पहचान बताए बिना ड्रग ट्रैफिकर्स और पेडलर्स पर जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है और ड्रग उपयोगकर्ताओं, उनके माता–पिता और डी एडिक्शन की सभी जानकारी के लिए परामर्श प्रदान करना है। लोग अपनी पहचान बताए बिना इस लाइन पर कॉल कर सकते हैं।

मादक पदार्थो की तस्करी को रोकने व तस्करी में संलिप्त अपराधियों को पकड़ने की रणनीति बनाने के उदेश्य से वर्ष 2019 में पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में पड़ोसी राज्यों के उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस मुख्यालय शिमला में 03 समन्वय वैठकों का क्रमश: दिनांक28.01.2019, 04.04.2019 व 18.12.2019 को आयोजन किया गया।

अनुसूचित जाति/जन जाति अधिनियम:– इस शीर्ष में वर्ष 2018 में पंजीकृत 92 अभियोगों की तुलना में वर्ष 2019 में 163 अभियोग यानि 71 अभियोग अधिक पंजीकृत हुए हैं।

आबकारी अधिनियम:–इस शीर्ष में वर्ष 2019 में 2916 अभियोग पंजीकृत हुए हैं जबकि वर्ष 2018 में 2584 अभियोग पंजीकृत हुए थे अत: वर्ष 2019 में इस शीर्ष में 332 अभियोगों (12.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

वन अधिनियम: इस शीर्ष में वर्ष 2019 में 161 अभियोग पंजीकृत हुए हैं जबकि वर्ष 2018 में 240 अभियोग पंजीकृत हुए थे अत: वर्ष 2019 में इस शीर्ष में 79 अभियोग कम पंजीकृत हुए हैं।

आई.टी.एक्ट:– वर्ष 2018 में इस शीर्ष में पंजीकृत 66 अभियोगों की तुलना में वर्ष 2019 में 79 अभियोग यानि 13 अभियोग अधिक पंजीकृत किए गए है। प्रदेश पुलिस द्वारा IT capacity को बढाया गया है तथा सोशल मीडिया के दुरूपयोग के बारे में अभियोग पंजीकृत किए जा रहे हैं ।

वर्ष 2019 में पुलिस विभाग ने खनन माफिया के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 6999 वाहनों के चालान किए जिनसे जुर्माने के तौर पर 3,35,74,400/– रू0 वसूला गया।

अपराध समाज का हिस्सा है प्रदेश में कोई भी संगठित अपराध व अपराधिक गिरोह सक्रिय नहीं है। पुलिस बल के मनोबल व कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अत्याधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिससे उनकी कार्यदक्षता बढ़ेगी तथा जनता से अच्छा सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें हमेशा कानून के अन्तर्गत निष्पक्षता, निर्भयता व सत्यनिष्ठा से कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है। पहले प्राथमिकी दर्ज करने में शिकातयकर्ताओं को समस्या आती थी क्योंकि अपराधों को कम करने की प्रवृति थी, पर आज शिकायतकर्ताओं को प्राथमिकी दर्ज करने में कोई समस्या नहीं होती। पुलिस अब प्राथमिकी दर्ज करके अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की कानून व्यवस्था पूर्णत: नियन्त्रण में है। प्रदेश में वर्ष 2019 के दौरान कानून एवं व्यवस्था से सम्बन्धित कोई प्रमुख घटना घटित नहीं हुई है। प्रदेश पुलिस अपराधिक घटनाओं से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सतर्क एवं सक्षम है।

वर्ष 2020 के लिए पुलिस विभाग की रहेगी ये प्राथमिकताएं:

सड़क दुर्घटनाओं को कम करना:–इसके लिए Rash & negligent driving, over speeding, overloading, using mobile while driving and without seat bealt के उल्लंघनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

NDPS Act को प्रभावी रूप से लागू करना:– मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त अपराधियों को पकड़ने के साथ–2 लोगों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

समाज में बढ़ रहे साईबर अपराध के बारे में लोगो का जागरूक करना एवं साईबर अपराध के अन्वेषण के लिए क्षमता बढ़ाना।

100 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों में से बची हुई 30 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का परिचालन करना।

प्रदेश में सी.सी.टी.वी. कैमरों के नेटवर्क को और बढ़ाना जिससे अपराधियों एवं समाज विरोधी तत्वों पर नजर रखी जा सके।

दिनांक 30.6.2019 को प्रदेश में शुरू की गई ड्रग फ्री ऐप को 01 लाख लोगों द्वारा डाउनलोड़ करवाना।

नव वर्ष पर मुख्यमंत्री ने शिमला शहर में 525 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला शहर में 525 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 17.36 करोड़ रुपये की लागत से आईजीएमसी से संजौली तक स्मार्ट पैदल यात्री पथ व शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 32 करोड़ रुपये की लागत से बहु-मंजिला पार्किंग व आईजीएमसी की नई ओपीडी के लिए लिंक रोड का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने 70 करोड़ रुपये की लागत से शिमला के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना, चाबा (कोल डैम) तथा मौजूदा गुम्मा पंप स्टेशन के संवर्धन कार्य का लोकार्पण तथा 406 करोड़ रुपये की लागत से सतलुज नदी से शिमला शहर के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिमला शहर के लिए 406 करोड़ रुपये की महत्त्वाकांक्षी पेयजल आपूर्ति योजना का निर्माण कार्य 2022 तक पूर्ण होगा। इस योजना से शिमला शहर को 67 एम.एल.डी. पेयजल की आपूर्ति होगी और इससे वर्ष 2050 तक शिमला के लिए पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध होगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि चाबा (कोल डैम)-शिमला उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना जिसका कि अब विधिवत रूप से लोकार्पण हुआ है, इससे शिमला शहर के लिए रोजाना 10 एम. एल.डी. अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा कि ये दोनों पेयजल आपूर्ति योजनाएं शिमला शहर के लिए वरदान सिद्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 17.36 करोड़ रुपये की लागत से आईजीएमसी शिमला से संजौली तक सड़क के किनारे (घाटी की तरफ) कवर्ड फुटपाथ बनाया जा रहा है। इससे शिमला वासियों के साथ-साथ यहां भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस स्मार्ट फुटपाथ में स्पीकर सुविधा वाले स्मार्ट पोल, सी.सी. टी.वी., लाइटिंग और वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध होगी। फुटपाथ के किनारे पर डिजीटल साईनेज और बंदरों को दूर रखने वाले उपकरण भी स्थापित किए जाएंगे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि बहु-मंजिला पार्किंग परिसर और आईजीएमसी के नए ओ.पी.डी. ब्लॉक के लिए सम्पर्क सड़क के माध्यम से 420 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी और इससे आईजीएमसी में पार्किंग की समस्या के निवारण में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस सम्पर्क के माध्यम से कार्ट रोड से आईजीएमसी के नए ओ.पी.डी. ब्लॉक तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नव वर्ष के मौके पर विभिन्न विकास कार्यो के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया।

लापता शुभम मामले में सी.बी.आई. जांच की मांग

शिमला/शैल। ठयोग के देहा से लापता हुए रोहडू के 23 वर्षीय युवक शुभम का 36 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शिमला पुलिस द्वारा गठित एसआईटी शुभम को ढुंढने में नाकाम रही। शुभम के माता-पिता ने

प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर एसआईटी जांच पर असंतोष जाहिर किया तथा सरकार से बेटे की गंभीरता से तलाश करने की मांग की। परिजनों ने सरकार को चेताया कि अगर शुभम नहीं मिला, तो वे सड़कों पर उतकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

लापता बेटे के गम में मां आशा प्रेस काफ्रेंस के दौरान भावुक हो गई और रोते हुए बोली कि एसआईटी के अधिकारियों ने एक दिन भी इस मामले में उनसे संपर्क नहीं किया। पिछले 25 दिनों से जांच कर रही एसआईटी को एक भी क्लू नहीं मिला है, वह क्या जांच कर रही है? एसआईटी उनके बेटे की तलाशी में गंभीरता नहीं दिखा रही है। एसआईटी द्वारा जो कोशिश की जानी चाहिए थी, वह नहीं की जा रही है। वे गरीब हैं, इसलिए उनकी नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री जी मेरा बेटा मुझे दिला दो। बेटे के बिना मैं नहीं जी सकती। सरकार सीबीआई को जांच के लिए कहे।

शुभम की गुमशुदगी को लेकर परिजनों ने एक बार फिर पुनीत पर शक जताया और कहा कि वह ही उनके बेटे को अपने साथ लेकर गया था। पुनीत ने शुभम की गुमशुदगी के बारे में किसी को भी अवगत भी नहीं करवाया, जबकि उसे सब कुछ पता है। वह ही शुभम की गुमशुदगी के राज खोल सकता है। एक दिसंबर को जुब्बल पहुंचकर उसने किसी व्यक्ति के पास शुभम का मोबाइल व कैमरे छोड़ा और हम तक पहुंचाने को कहा। जमानत पर रिहा होने के बाद पुनीत अब खुले में घूम रहा है। एसआईटी को उसे फिर से हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए।

शुभम के पिता ने कहा कि उनका बेटा नहीं मिला, तो आखिर में उनके पास सड़क पर उतरकर सरकार व पुलिस के विरूद्ध प्रदर्शन करने का ही रास्ता रहेगा। प्रेस वार्ता में रोहडू के कटलाह ग्राम पंचायत के उपप्रधान अंकुश लक्टा भी मौजूद थे।

भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाने के लिए प्रशिक्षित व प्रतिभा सम्पन्न मानव संसाधन की आवश्यकता:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल । मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाने और आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए प्रतिभा सम्पन्न और प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता है तथा इसमें शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। वह राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा 'राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च शिक्षा' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय अध्ययन पद्धतियों की सुविधा प्रदान करने के प्रयास होने चाहिए तथा उनकी शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ उन्हें रोजगार प्रदान करने की चुनौती का भी सामना करने की आवश्यकता है। आज के दौर में डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि तकनीक के अधिकाधिक प्रयोग से विद्यार्थियों को समय, पहुंच और स्थान की सीमाओं से छूट मिलती है। तकनीक के कारण शिक्षा अधिक लचीली, सुलभ और व्यक्तिगत बन गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अच्छी शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थी का मस्तिष्क प्रगति, राष्ट्रवाद और सामाजिक विकास की ओर मुड़ता है। विद्यार्थियों को अपने स्तर पर सोचने, विश्लेषण करने, तर्क देने, प्रतिक्रिया करने और अपने निष्कर्ष के लिए छूट दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान कई छोटे-छोटे निर्णय कार्यान्वित किए गए है जिनका आम जनता के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जन मंच, पैंशन योजना, हिम केयर, सहारा योजना और गृहिणी सुविधा योजना आदि से प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां जनसंख्या अनुपात में कर्मचारी सर्वाधिक हैं। प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र के माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास कर रही है। एक प्रतिष्ठित पत्रिका के सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को देश में स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर आंका गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा रोजगारपरक हो और युवाओं को इस योग्य बनाए कि वे दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सके।

उन्होंने आश्वासन दिया कि इस सम्मेलन में शिक्षकों ने जो मुद्दे उठाए हैं, सरकार उन पर विचार करेगी। एमफिल और पीएचडी करने वालों को वेतन वृद्धि बहाल करने और यूजीसी के मापदण्डों के अनुरूप महाविद्यालयों में प्रोफेसर का पद सृजित करने सम्बन्धी प्रवक्ताओं की मांग पर सरकार विचार करेगी। इसके अतिरिक्त, विभागीय परीक्षाओं से छूट देने सम्बन्धी मांग पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस शिमला में अर्थशास्त्र के एसोशिएट प्रोफेसर डॉ.जीपी कपूर की पुस्तक 'मिलेनियम एजुकेशन फोर नेशन बिल्डिंग' तथा आयोजकों द्वारा तैयार की गई स्मारिका का विमोचन किया।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई के लिए ज्ञान अर्जित करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व उभर रहे हैं और यह आवश्यक है कि उन्हें शैक्षणिक संस्थानों का अनुचित इस्तेमाल करने से रोका जाए। उन्होंने शिक्षकों का आहवान किया कि अपने विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए वे विशेष प्रयास करें।

अखिल भारतीय शिक्षक संघ की अध्यक्ष जगदीश प्रसाद सिंघल ने कहा कि शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण और विश्व गुरू का वैभव पुनः प्राप्त करने के लिए आगे आना चाहिए। शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए तभी यह राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत किसी समय शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केन्द्र हुआ करता था लेकिन विदेश आक्रमणों के कारण देश ने इस गौरव को खो दिया। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की अपने-अपने विषयों पर गहरी पकड़ और विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए।

राष्ट्रीय संगठन सचिव महेन्द्र कपूर ने कहा कि संगठन देश के 25 राज्यों तक फैला है। महाविद्यालय शिक्षक संघ के राज्य प्रांत प्रमुख रविन्द्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री व अन्यों का स्वागत किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य प्रोफेसर नागेश और पूर्व कुलपति सुनील गुप्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्य में अगले तीन वर्षों में तैयार होंगे 48,390 प्रशिक्षित स्वयंसेवी

शिमला/शैल। आपदा प्रबंधन की बेहतर तैयारियों और प्रतिक्रिया के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने युवा स्वयंसेवियों की टॉस्क फोर्स बनाने की विशेष योजना आरम्भ की है। इस योजना के तहत प्रभावी आपदा न्यूनीकरण के लिए हर पंचायत में कम से कम 10-15 स्वयंसेवियों के काडर का गठन कर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव कार्य के जीवनरक्षक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिभावान युवाओं को स्वयंसेवी बनाने के प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान 200 रुपये प्रतिदिन मानदेय का प्रावधान किया गया है। खोज एवं बचाव और प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षण की अवधि तीन दिन होगी।

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की यह योजना सभी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसके तहत राज्य की 3226 पंचायतों में स्वयंसेवी तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगले तीन वर्षों में राज्य में 48390 प्रशिक्षित स्वयंसेवी होंगे। सभी स्वयंसेवकों का जिला स्तर पर डाटाबेस तैयार किया जाएगा तथा उसे नियमित रूप से भी अपडेट किया जाएगा ताकि आपदा, सड़क दुर्घटना और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान उनकी सेवाएं ली जा सके। इससे आपदा और आपातकालीन समय के दौरान जमीनी स्तर पर निपटने की राज्य की क्षमता में और बढ़ौतरी होगी। स्वयसेवकों की सेवाएं आवश्कता के अनुरूप ली जाएंगी जिसके लिए जिला प्रशासन उन्हें पारिश्रमिक दिया जाएगा।

राज्य आपदा प्रबंधन ने ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफोर्म (www.hpsdma.nic.in/Volunteer.aspx) सृजित किया है जो हिन्दी व अंग्रेजी भाषाओं में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी बनने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कोई भी युवा सम्बन्धित पंचायत प्रधान अथवा खण्ड विकास अधिकारी या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए राज्य नियंत्रण कक्ष को फोन नम्बर 1070 अथवा जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर 1077 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं, स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाओं, युवा मण्डलों, एनसीसी और एनएसएस से प्रदेश सरकार के इस अभियान से जुड़ने का आहवान किया है।

प्रदेश की सभी 3370 स्थानीय निकायों में जैव विविधता समितियां गठित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने राज्य में जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के गठन का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग और शहरी विकास विभाग के सहयोग से राज्य जैव-विविधता बोर्ड ने प्रदेश की सभी 3370 स्थानीय निकायों में जैव विविधता समितियां गठित कर ली गई है। बोर्ड की बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव डी.सी. राणा ने की। बैठक में राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्णय के अनुसार राज्य में बीएमसी के गठन में हुई प्रगति और लोगों के जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने पर चर्चा की गई।

डी.सी. राणा ने कहा कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकास बीएमसी का गठन करें और जैव विविधता रजिस्टर बनाने की तैयारी करे। उन्होंने कहा कि बोर्ड इन रजिस्टर को तैयार करने में बीएमसी की सहायता करेगा। इस रजिस्टर को एनजीटी के निर्देश पर तैयार किया जाना है जो एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें क्षेत्र विशेष के जैविक संसाधनों एवं सम्बध पारम्परिक ज्ञान की जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि एनजीटी के आदेशों के अनुरूप जो बीएमसी जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने और लोगों के जैव विविधता रजिस्टर की धनराशि तकनीकी सहायता समूहों को स्थानांतरित करने में विफल रहती है या जैव विविधता रजिस्टर बनाने में अवरोध पैदा कर रही हैं उन पर प्रति माह 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि लोगों के जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने में शामिल सभी संस्थाएं सम्बन्धित बीएमसी में छः महीनों के अंदर इस कार्य को पूरा करेंगी। तकनीकी सहायता समूह बीएमसी स्तर पर रजिस्टर तैयार करने में राज्य जैव विविधता बोर्ड का सहयोग करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि रजिस्टर तैयार करने में जिला परिषदों, खण्ड समितियों के अध्यक्ष और पंचायत प्रधान अपनी-अपनी बीएमसी में इन संस्थानों को रजिस्टर तैयार करने के कार्य में सहयोग देंगे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

shailsamachar.co.in

क्या लैण्ड सिलिंग के चलते 105 एकड़ जमीन खरीद की अनुमति दी जा सकती है

इस प्रकरण में बाल्दी,सक्सेना,पालरासू की भूमिका पर उठे सवाल
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और प्रधान न्यायाधीश तक पहुंची शिकायत
राज्य सरकार की खामोशी सवालों में

शिमला/शैल। कांगड़ा जिला के योल निवासी अनूप दत्ता ने प्रदेश के तीन बड़े नौकरशाहों श्री कान्त बाल्दी, प्रबोद सक्सेना और पालरासू के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चीफ जिस्टस ऑफ इण्डिया, चीफ जस्टिस हिमाचल हाईकोर्ट, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर को एक शिकायत भेजी है। शिकायत में इन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गयी है। यह सभी अधिकारी किसी न किसी समय कांगड़ा के जिलाधीश रह चुके हैं। आरोप है कि कांगड़ा में एक गैर कृषक गैर हिमाचली फैज मुर्तज़ा अली को कृषि कार्य के लिये 105 एकड़ ज़मीन खरीद की अनुमति भू -राजस्व अधिनियम की धारा 118 के तहत गैर कानूनी तरीके से दे दी गयी है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसने इस जमीन का सौदा इसके असली मालिक मोहिन्द्र सिंह पुत्र महाराजा पटियाला भूपिन्द्र सिंह से किया था। लेकिन फैज अली ने अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से इस जमीन पर बिना किसी कानूनी दस्तावेज के अपना जबरन अधिकार का दावा कर दिया। शिकायतकर्ता ने इस बावत जिलाधीश कांगड़ा और पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। इसको लेकर पुलिस थाना पालमपुर में एफआईआर 50/12 और पुलिस थाना धर्मशाला में एफआईआर 97/3 तथा 72/5 दर्ज हैं। इन एफआईआर की उचित जांच किये जाने की बजाये शिकायतकर्ता को ही 24-7-2002 को पुलिस थाना पालमपुर में बिना किसी केस के हवालात में बन्द कर दिया। 25-7-2002 को पंजाब पुलिस की वर्दी में आयें कुछ लोगों ने उसका अपहरण तक कर दिया। इस सबकी शिकायतें की गयी लेकिन कोई कारवाई नही की गयी।

शिकायतकर्ता के मुताबिक 6-8-2002 को पत्र संख्या Rev-BF(10) 248/ 2002 को गैर कृषक, गैर हिमाचली के नाम 105 एकड़ ज़मीन कृषि कार्य के लिये खरीदने का अनुमति पत्र तैयार किया गया। राजस्व विभाग का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारों में इस खरीद की अनुमति दी गयी है। शिकायतकर्ता अनूप दत्ता का दावा है कि उसने 27 मई 2019 को एडीजीपी विजिलैन्स को और 29 जुलाई 2019 को मुख्य सचिव को इस बारे में पत्र लिखा परन्तु कोई कारवाई नही हुई। इसके बाद उसने 18-8-2019 को एक और शिकायत पत्र भेजा। इस पत्र पर एसपी कांगड़ा ने डीआईजी को पत्र लिखा है। इस पत्र में एसपी ने माना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गंभीर मामले उठाये गये हैं जिनका बड़े स्तर पर असर पड़ेगा इसलिये इस सबकी एक सघन जांच होनी चाहिये। एसपी कांगड़ा द्वारा डीआईजी को लिखे पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिकायतकर्ता ने इन बड़े अधिकारियों के खिलाफ संगीन आरोप लगाये हैं और इन आरोपों की अभी तक कोई जांच नही हुई है। आरोपों में सच्चाई है या नही इसका पता तो जांच से ही चलेगा। यह शिकायतें भी लम्बे अरसे से चली आ रही हैं। जिन पर अब प्रार्थी को महामहिम राष्ट्रपति से लेकर शीर्ष अदालत तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर तक शिकातय पहुंची है लेकिन अभी तक कोई कारवाई न होना अपने में कई सवाल खड़े करता है।

इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम सवाल यह सामने आता है कि जब प्रदेश में लैण्ड सिलिंग एक्ट लागू किया गया था तब इसके प्रावधानों के मुताबिक एक व्यक्ति अपने पास ज्यादा से ज्यादा 101बीघे/300 कनाल ज़मीन रख सकता है। लैण्ड सिलिंग में अधिकतम भू-सीमा की छूट केवल बागीचा धारकों को दी गयी थी। जिन लोगों/किसानों /बागवानों के बागीयों की राजस्व रिकार्ड में बतौर बागीचा एन्ट्री दर्ज थी उन्हें यह छूट हासिल थी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब बागीचा बेचना चाहेगा तो उसे सरकार से इसकी अनुमति लेनी होगी और तब उस पर लैण्ड सिलिंग के प्रावधान लागू होंगे। यदि कोई गैर कृषक व्यक्ति कृषि कार्य के लिये ज़मीन खरीदना चाहता है तो वह केवल चार एकड़/चालीस कनाल ही खरीद सकता है। इस प्रावधान के तहत फैज़ अली चार एकड़ से ज्यादा जमीन नही खरीद सकता है। उसे धारा 118 के तहत ऐसी अनुमति दी ही नही जा सकती थी। इसलिये यह स्वभाविक है कि यदि फैज अली को 105 एकड़ खरीद की अनुमति दी गयी है तो वह एकदम नियमों के विरूद्ध है। यदि उसने धोखाधड़ी करके 105 एकड़ पर कब्जा करने का प्रयास किया है तब उसका अपराध दोगुणा हो जाता है। इस 105 एकड़ खरीद की अनुमति किसी भी नियम के तहत दिया जाना संभव ही नही है। ऐसे में अनूप दत्ता की शिकायत से स्पष्ट हो जाता है कि या तो इन अधिकारियों को राजस्व निमयों की जानकारी ही नही थी या फिर इन्होने किन्ही निहित कारणों से यह सब होने दिया और सरकार को नुकसान पहुंचाया। अब जब यह शिकायत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और सर्वोच्च न्यायालय/प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों तक पहुंच गयी है तब इस पर किस तरह से आगे कारवाई की जाती है या एक बार फिर इस मसले को दबा दिया जाता है यह देखना रोचक होगा।

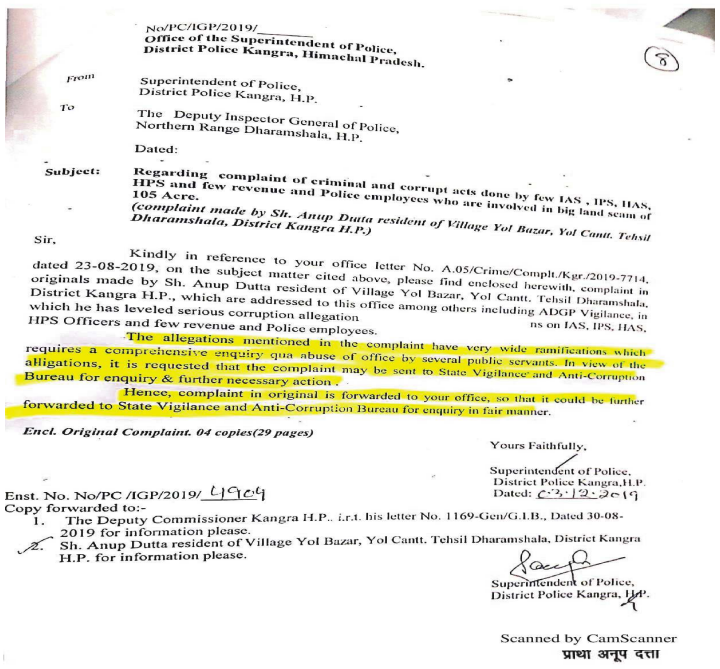

No/PC/IGP/2019/
Office of the Superintendent of Police,
District Police Kangra, Himachal Pradesh.

From Superintendent of Police, District Police Kangra, H.P.

To The Deputy Inspector General of Police, Northern Range Dharamshala, H.P.

Dated:

Subject: **Regarding complaint of criminal and corrupt acts done by few IAS , IPS, HAS, HPS and few revenue and Police employees who are involved in big land scam of 105 Acre.**
(complaint made by Sh. Anup Dutta resident of Village Yol Bazar, Yol Cantt. Tehsil Dharamshala, District Kangra H.P.)

Sir,

Kindly in reference to your office letter No. A.05/Crime/Complt./Kgr./2019-7714, dated 23-08-2019, on the subject matter cited above, please find enclosed herewith, complaint in originals made by Sh. Anup Dutta resident of Village Yol Bazar, Yol Cantt. Tehsil Dharamshala, District Kangra H.P., which are addressed to this office among others including ADGP Vigilance, in which he has leveled serious corruption allegation ns on IAS, IPS, HAS, HPS Officers and few revenue and Police employees.

The allegations mentioned in the complaint have very wide ramifications which requires a comprehensive enquiry qua abuse of office by several public servants. In view of the alligations, it is requested that the complaint may be sent to State Vigilance and Anti-Corruption Bureau for enquiry & further necessary action.

Hence, complaint in original is forwarded to your office, so that it could be further forwarded to State Vigilance and Anti-Corruption Bureau for enquiry in fair manner.

Encl. Original Complaint. 04 copies(29 pages)

Yours Faithfully,
Superintendent of Police,
District Police Kangra,H.P.
Dated:

Enst. No. No/PC /IGP/2019/
Copy forwarded to:-
1. The Deputy Commissioner Kangra H.P.. i.r.t. his letter No. 1169-Gen/G.I.B., Dated 30-08-2019 for information please.
2. Sh. Anup Dutta resident of Village Yol Bazar, Yol Cantt. Tehsil Dharamshala, District Kangra H.P. for information please.

Superintendent of Police,
District Police Kangra, H.P.

Scanned by CamScanner

सेवा में,

1. महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
2. माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी,
3. माननीय चीफ जस्टीस ऑफ इण्डिया,
4. माननीय चीफ जस्टीस हाई कोर्ट शिमला व अन्य जस्टीस हाई कोर्ट शिमला
5. महामहिम राज्यपाल हि०प्र० शिमला,
6. माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हि०प्र० शिमला,

प्राथा अनूप दत्ता

विषय :–धारा 118 के 105 एकड़ जमीन के घोटाले मे, 2002 से 2019 तक के कार्यरत व सलिप्त चीफ सैक्टरी श्री कान्त बालदी, IAS प्रमोद सकसेना व अन्य IAS,IPS , HAS, HPS अधिकारियों व अन्य राजस्व व पुलिस अधिकारियों के विरूध **CBI** जांच करवाई जाने की प्रार्थना

(क) यह अधिकारी अपने आप को कानून व नियमों से ऊंचा मानते है कानून के साथ खिलवाड कर रहे है। यह अधिकारी लगातार छानबीनों को प्रभावित कर रहे है। इन संलिप्त अधिकारियों के विरूध **IPC** की व कानून की धाराएं लागू होती है इसलिए इन अधिकारियों को छानबीन पूरी होने तक गिरफ्तार करवाने हेतू प्रार्थना।

मान्यवर,

निवेदन इस प्रकार से है :–

प्रार्थी इन उच्च अधिकारियों के जुलमों व षडयन्त्र का 2002 से लगातार शिकार है, यह अधिकारी प्रार्थी के सवैधानिक, मौलिक व कानून अधिकारों का हन्न कर रहे है। और न्याय प्राप्ति में बाधा डाल रहे है। इस बारे में जानकारी इस प्रकार से है कि

1. इन अधिकारियों के विरूद्ध 2002 से 2019 तक छानबीन के कई मामले अलग अलग स्तर पर पैन्डीग है। इन अधिकारियों व अन्य आरोपियों ने जो अपराधिक कार्य 2003 तक किए थे उस मामले में एफ.आई.आर. 97/3 पुलिस स्टेशन धर्मशाला दर्ज है। और इसके बाद अन्य एफ.आई. आर. 72/5 और एफ.आई.आर. 50/12 पुलिस स्टेशन पालमपुर दर्ज है। इसके इलावा 2012 से लेकर 2019 तक जो अन्य गैर काननून व अपराधिक कार्य किए है यह सब शिकायत पत्र पुलिस मुख्यालय हिमाचल प्रदेश व अन्य अधिकारियों के पास मामले पैन्डीग है।
2. इन अधिकारियों को डर है कि अगर छानबीन शुरू हो जाएगी तो यह फस जाएगे इसलिए यह अधिकारी कोई छानबीन नही होने दे रहे है।
3. यह अधिकारी 2002 से 2019 तक अपने सरकारी निधारित कर्तव्यों की पालना नही कर रहे है और इस विवादीत परमिशन के विरूद्ध कोई कानूनन कदम नही उठा रहे है। अगर इन अधिकारियों का इस जमीनी घोटाले में कोई व्यक्तिगत सवार्थ या लाभ नही है तो यह गैर कानून कार्य व नियामो मे विरूद्ध कार्य क्यों कर रहे है यह गहन छानबीन का विषय है।
4. यह अधिकारी 2002 से 2019 तक कोर्ट के आदेशो की पालना भी नही कर रहे है।
5. इन अधिकारियो ने धोखाधडी करके धारा 118 के नियमों के विरूद्ध Contrary to Law परमिशन पत्र तैयार किया है और अब इसको मान्यता दे रहे है।

(क) प्रार्थी ने दिनांक 03.07.2002 को इस विवादित जमीन 105 एकड़ का सौदा जमीन के असल मालिक मोहिन्द्र सिंह पुत्र महाराजा पटियाला भुपेन्द्र सिंह से किया था।

(ख) प्रार्थी के सौदे के बाद सुप्रिम कोर्ट के पुर्व जस्टीस के बेटे फैज मुरतजा अली ने तत्कालीन उपायुक्त कांगडा व अन्य पुलिस व राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर Fraudulently Claim on the Property with out any Legal Right किया था।

(ग) प्रार्थी को इस दौरान जब तग किया पुलिस अधिकारियो व राजस्व अधिकारियों से दवाब डलवाया की मै 03.07.2002 के सौदे को कैनसल कर दूं और जमीन पर जबरन धूसे तो प्रार्थी ने इस मामले कि शिकायत 20.07.2002 तक तत्कालीन उपायुक्त कांगडा व पुलिस अधिकारियों को की।

(घ) 24.07.2002 को प्रार्थी को पालमपुर थाना में गैर कानूनन तरीके से बिना कोई केस दर्ज किए हवालात में बंद रख कर इस फर्जी खरीदार के मुखतियारेआम से राजिनामा करवाकर छोड दिया गया।

(ड.) दिनांक 25.07.2002 को पंजाब पुलिस कि बर्दी में कुछ लोगो से प्रार्थी का अपरहण करवा कर प्रार्थी के पिता जी से 03.07.2002 के सौदे की असल कॉपी फिरोती के रूप में ली गई।

(च) दिनांक 25.07.2002 को फिरौती के बाद तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा ने गैर कानूनन व अधुरे दस्तावेजो की सहायता से यह विवादित गैर कानूनन परमिशन तत्कालीन सचिव राजस्व के साथ मिल कर तैयार करवाई। जबकि नियमानुसार इस परमिशन को देने का प्रावधान नही है।

(छ) 2002 के तत्कालीन उपायुक्त कागड़ा को 06.07.2002 से लेकर 25.07.2002 तक इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि प्रार्थी इस जमीन का खरीदार है और इस दौरान अन्य फर्जी खरीदार प्रार्थी को धमका रहा है। इसके बाद भी तत्कालीन उपायुक्त कागड़ा प्रमोद सकसेना का गैर कानून कार्य करना एक जॉच का विषय है।

6. इन अधिकारियों ने रचित षड़यन्त्र के तहत 06.08.2002 को पत्र संख्या Rev-BF(10)248/2002. मे गैर हिमाचली को धारा 118 में, कृषि उदेश्य के लिए 105 एंकड़ जमीन खरीदने का गैर कानूनन अनुमति पत्र तैयार किया था। जब कि ये परमिशन 4 एकड़ तक दी जा सकती थी। 105 एकड़ विवादित परमिशन देने का धारा 118 मे प्रावधान नही है।

(क) वर्ष 2012 में दस्तावेजो के आधार पर लॉ विभाग से राय ले कर इस परमिशन को गैर कानूनन घोषित कर दिया है। इस विवादित गैर कानूनन परमिशन को रद्द करना इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

(ख) 2012 से 2019 तक के यह अधिकारी इस विवादित परमिशन को रद्द नही कर रहे है व इस विवादित परमिशन का प्रयोग लगातार प्रार्थी के विरूद्ध अदालतों में किया जा रहा है।

17. इस विवादित परमिशन के सरकारी नोटिग व सरकारी दस्तावेज की UNATTESTED COPIES का प्रयोग कुछ आरेपियों में C.S 38/05, हाई कोर्ट में किया है। शिकायतकर्त्ता / प्रार्थी ने इस मामले की जानकारी 2 मई 2019 को शिकायत के रूप में उच्च अधिकारियों को की है जबकि सरकार इस C.S मे पार्टी नही है। यह अधिकारी इस मामले में कोई छानबीन नही कर रहे है कि यह सरकारी UNATTESTED सरकारी रिकार्ड Civil Suit के Defendant के पास कैसे पहुंचा और उनके वकील ने इन दस्तावेजो की True Copy किस नियम के तहत Attest की।
18. प्रार्थी ने Joint Secretary Revenue श्री राकेश मैहता व अन्य अधिकारियों के विरूद्ध दिनांक 27 मई 2019 को एक शिकायत पत्र लिखा था इस पत्र पर A.D.G.P (vig) हिमाचल प्रदेश 28जून 2019 को इस का ब्यौरा मांगा था परन्तु इन अधिकारियों ने यह मामला दबा दिया है।
19. प्रार्थी ने 29 जुलाई 2019 को चीफ सैक्टरी हिमाचल को पत्र संख्या 54767351 व श्री संजय कुंडू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलैस हि०प्र० को पत्र संख्या 54767367 के तहत एक पत्र लिखा था इस घोटाले के कई पहलुओ को उजागर किया है इस पत्र पर संजय कुंडू जी ने 13 अगस्त 2019 को F.C REV हि०प्र० से जवाब मांगा है परन्तु यह मामला भी दबा दिया है।
20. प्रार्थी का सौदा व कब्जे को नुकसान करने के लिए इन अधिकारियों व अन्य आरोपियों ने रचित षडियन्त्र के तहत दस्तावेजो में ऐसा लिखा है कि विवादित जमीन का कब्जा 22.04.2002 को गैर कृषक गैर हिमाचली को दिया है जबकि विवादित परमिशन दिनांक 06.08.2002 की है। इस बारे में सैक्टरी लॉ ने नियमों के आधार पर राय दी है कि यह 22.04.2002 का कब्जा कलेम करना गैर कानूनन है। इस पर उपायुक्त को कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद है।
21. चीफ सैक्टरी श्रीकान्त बालदी को दिनांक 16.03.2019 को व 05.04.2019 को कुछ पत्र लिखे है इन पत्रों की भी छानबीन जरूरी है क्योंकि श्रीकान्त बालदी ने उपायुक्त कांगड़ा रहते हुए माननीय हाई कोर्ट को एक रीट पटीशन में गुमराह किया है व धारा 118 के नियमों के विरूध रिपोर्ट दी है। और झूठा शपत पत्र दिया है प्रमाण दस्तावेज है जबकि नियम कहते है कि धारा 118 के नियमों का पालना करवाना व करना उपायुक्त का ही कर्तव्य है।

(क) चीफ सैक्टरी श्रीकान्त बालदी के हाई कोर्ट में दिए गए उपरोक्त लिखित जवाब के बाद इस फर्जी खरीदार फैज मुर्तजा अली ने स्वंय माना है कि यह विवादित परमिशन गैर कानूनन है इसके लिए सचिवालय का पत्र संख्या 1412 Rev (B) दिनांक 23.04.2005 को छानबीन में लिया जाना जरूरी है इस पत्र को यह अधिकारी जानबूझ कर छूपा रहे है और श्रीकान्त बालदी द्वारा किए गए गैर काननून कार्य को छूपा रहे है।

(ख) जानकारी मिली है कि तत्कालीन उपायुक्त कागड़ा श्रीकान्त बालदी ने हाई कोर्ट में झूठा शपत देने से पहले फैज मुर्तजा अली से कोई लाभ लिया है इस लाभ की जानकारी सुबुतो सहित देने की कोशिश करूगा।

22. वर्ष 2013 से 15 तक के तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा श्री सी.पाल रासु ने जो अपराधिक व गैर कानूनन काम किए है इनका ब्यौरा प्रार्थी ने मुख्यंमत्री जी को दिनांक 28.11.2019 के पत्र के पहैरा नम्बर 13 से 29 में किया है। जो एक अहम छानबीन का हिस्सा है यह अधिकारी मिली भगत से किए गए गैर कानूनन कार्य को छूपा रहे हैं यह अधिकारी जानबूझ कर एक दूसरे के अपराधिक कार्य छूपा रहे है।

आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इस घोटाले मे संलिप्त अधिकारी उच्च पदो पर तैनात है हिमाचल प्रदेश की छानबीन एजनसियां व पुलिस इनसे प्रभावित व दवाब में है इसलिए इस मामले की सी.बी.आई. से छानबीन के निर्देश दिए जाए।

धन्यवाद

निवेदक / शिकायतकर्त्ता

अनूप दता
निवासी योल बाजार, तहसील धर्मशाला जिला कांगडा
हिमाचल प्रदेश
मो० 94180-68095

प्रतिलिपि :–
1. डी.जी.पी. हिमाचल पुलिस शिमला।
2. ए.डी.जी.पी. विजिलैंस हिमाचल प्रदेश शिमला।
3. रजिस्टार हाई कोर्ट शिमला।
4. हाई कोर्ट के सभी मान्नीय जस्टीस।
5. हिमाचल प्रदेश के सभी मान्नीय मंत्री ।
6. एस.पी. कागड़ा – धर्मशाला।
7. डी.सी. कागडा – धर्मशाला

जानकारी हेतू व उचित कार्यवाही हेतू ।

अनूप दत्ता